हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला, धर्मशाला [illegible] के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अंकेक्षण की अवधि :- 4/96 से 3/97

भाग-1

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित, निपटाए गए तथा अनिर्णीत पड़े पैरों का विवरण नीचे दिया जाता है। अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए :-

(क) अवधि 4/84 से 3/85 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4(1) — अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/86 से 3/87 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5(क) — अनिर्णीत

(ग) अवधि 4/87 से 3/88 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5(क)(1) — अनिर्णीत
2. पैरा 5(ख) — अनिर्णीत
3. पैरा 6(डी) — अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/89 से 3/90 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4(1)(सी) — अनिर्णीत
2. पैरा 7(क) — अनिर्णीत
3. पैरा 5(1,2,5,7 तथा 8) — अनिर्णीत
4. पैरा 5(11, 12) — अनिर्णीत
5. पैरा 6(3) — अनिर्णीत
6. पैरा 7(2)(सी से एफ तक) — अनिर्णीत
7. पैरा 7(3)(क)(2) — अनिर्णीत
8. पैरा 8(6 और 17) — अनिर्णीत

(ङ) अवधि 4/90 से 3/91 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4(10)(ग) — अनिर्णीत
2. पैरा 4(12) — अनिर्णीत
3. पैरा 6(5) — अनिर्णीत
4. पैरा 9(6) — अनिर्णीत
5. पैरा 9(8) — अनिर्णीत

(च) अवधि 4/91 से 3/92 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5(1) — अनिर्णीत
2. पैरा 7(— अनिर्णीत

....जारी

3. पैरा 10(ग) — अनिर्णीत
4. पैरा 11(च) — अनिर्णीत

(छ) अवधि 4/92 से 3/93 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4 — अनिर्णीत
2. पैरा 5 — अनिर्णीत
3. पैरा 6 — अनिर्णीत
4. पैरा 10 — अनिर्णीत
5. पैरा 11 — अनिर्णीत
6. पैरा 17 — अनिर्णीत

(ज) अवधि 4/93 से 3/94 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 6(ग) — अनिर्णीत
2. पैरा 8 — अनिर्णीत
3. पैरा 9 — अनिर्णीत
4. पैरा 13(ख) — अनिर्णीत
5. पैरा 16 — अनिर्णीत
6. पैरा 19(1) — आंशिक रूप से निपटाया गया।
7. पैरा 21 — अनिर्णीत
8. पैरा 22 — निर्णीत
9. पैरा 24(ग) — निर्णीत
10. पैरा 25(क) — निर्णीत
11. पैरा 25(घ) — अनिर्णीत
12. पैरा 29 — निर्णीत
13. पैरा 30 — अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95 तक :-

अनिर्णीत

1. पैरा 5 — अनिर्णीत
2. पैरा 6 — अनिर्णीत
3. पैरा 7 — अनिर्णीत
4. पैरा 8 — अनिर्णीत
5. पैरा 9 — अनिर्णीत
6. पैरा 10 — अनिर्णीत
7. पैरा 11 — अनिर्णीत
8. पैरा 12 — अनिर्णीत
9. पैरा 13 — अनिर्णीत
10. पैरा 16 — अनिर्णीत
11. पैरा 24 — अनिर्णीत
12. पैरा 25 — अनिर्णीत
13. पैरा 26 — अनिर्णीत
14. पैरा 28 — अनिर्णीत

......लगातार...

15.	पैरा 30	अनिर्णीत
16.	पैरा 31	अनिर्णीत
17.	पैरा 32	आंशिक रूप से निस्तारा गया ।
18.	पैरा 33	अनिर्णीत
19.	पैरा 34	आंशिक रूप से निस्तारा गया ।
20.	पैरा 35	अनिर्णीत
21.	पैरा 41	अनिर्णीत
22.	पैरा 42	अनिर्णीत
23.	पैरा 44	अनिर्णीत
24.	पैरा 46	अनिर्णीत

~~25~~

(ज) अवधि 4/95 से 3/96 तक का अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

1.	पैरा 4	निर्णीत
2.	पैरा 5	निर्णीत
3.	पैरा 6	अनिर्णीत
4.	पैरा 7	अनिर्णीत
5.	पैरा 8	अनिर्णीत
6.	पैरा 9	अनिर्णीत
7.	पैरा 10	निर्णीत
8.	पैरा 11	अनिर्णीत
9.	पैरा 12	अनिर्णीत
10.	पैरा 13	निर्णीत
11.	पैरा 14	अनिर्णीत
12.	पैरा 15	अनिर्णीत
13.	पैरा 16	अनिर्णीत
14.	पैरा 17	अनिर्णीत
15.	पैरा 18	अनिर्णीत
16.	पैरा 19	अनिर्णीत
17.	पैरा 20	अनिर्णीत
18.	पैरा 21	अनिर्णीत
19.	पैरा 22	अनिर्णीत
20.	पैरा 23	अनिर्णीत
21.	पैरा 24	अनिर्णीत
22.	पैरा 25	अनिर्णीत
23.	पैरा 26	अनिर्णीत
24.	पैरा 27	अनिर्णीत
25.	पैरा 28	अनिर्णीत
26.	पैरा 29	अनिर्णीत
27.	पैरा 30	अनिर्णीत

28.	पैरा 31	अनिर्णीत
29.	पैरा 32	अनिर्णीत
30.	पैरा 33	निर्णीत
31.	पैरा 34	अनिर्णीत
32.	पैरा 35	अनिर्णीत
33.	पैरा 36	निर्णीत
34.	पैरा 37	अनिर्णीत
35.	पैरा 38	अनिर्णीत
36.	पैरा 39(क)	अनिर्णीत
37.	पैरा 39(ख)	निर्णीत
38.	पैरा 40	अनिर्णीत
39.	पैरा 41	निर्णीत
40.	पैरा 42	अनिर्णीत
41.	पैरा 43	अनिर्णीत
42.	पैरा 44	अनिर्णीत
43.	पैरा 45	अनिर्णीत
44.	पैरा 46	अनिर्णीत
45.	पैरा 47	अनिर्णीत
46	पैरा 48	अनिर्णीत
47.	पैरा 49	आंशिक रूप से निपटाया गया ।
48.	पैरा 50	अनिर्णीत
49.	पैरा 51	अनिर्णीत
50.	पैरा 52	अनिर्णीत

भाग-II

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला के अवधि 4/96 से 3/97 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम आगामी पैरों में वर्णित किए गए हैं, सर्वश्री लेख राज चौहान, एस. एस. कायथ, सुरेश गुप्ता, तथा हेम राज भारद्वाज, अनुभाग अधिकारियों द्वारा श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक के पर्यवेक्षण में दिनांक 20. 10. 97 से 22. 11. 97 तक धर्मशाला में किया गया । मास 7/96 व 3/97 के लेखाओं का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

निर्माण मण्डल, धर्मशाला के वर्ष 1996-97 के लेखाओं के लेखा परीक्षा शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु हि०प्र० आवास बोर्ड

....लगातार..

मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा ।

4. अग्रिम :-

(क) कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निम्न अग्रिमों के रूप में निम्नलिखित राशियां दिनांक 31.3.97 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थीं जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है । अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित भी हो चुके हैं परन्तु अग्रिम राशियों का समायोजन करवाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं । इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही शीघ्र की जाए :-

(1) स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	(-) 3,835.00
(2) वेतन अग्रिम	(-) 957.00
(3) यात्रा अग्रिम	2,500.00
(4) स्टाफ अग्रिम	23,208.00

(ख) विविध अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल , धर्मशाला के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.97 को मु0लिग 20,16,457.84 रु0 की राशि समायोजनार्थ शेष पड़ी थी जिसका विवरण आवास बोर्ड के लेखाओं में दिया गया है । उपरोक्त अग्रिमों को समय पर वसूली/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिमों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के ही रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है । इसके विपरीत अग्रिम राशियों को वसूलने/समायोजन हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं । अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

5. आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च 1997 तक 2,67,473.00 रु0 की बस्तियों के रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना :-

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों से प्राप्त होने वाले रख रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मण्डल कार्यालय में नहीं रखा गया है जिसका समय-2 पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त लम्बित ए... प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली इन राशियों की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किया जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उप मण्डलों को राशियों की तुरन्त या सुनियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सकें

....क्रमशः

इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियाँ शेष हैं का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण डेबिटर्ज एवं क्रेडिटर्ज का तभी पता चल सकेगा । उप मण्डल पालमपुर तथा कांगड़ा द्वारा रखे गए रख रखाव प्रभार के खातों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.3.97 तक पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से लगभग 2,67,473.00 रु0 की वसूलियां शेष थीं तथा कुछ मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अंकेक्षण की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी । रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा भी प्रतीत होता कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

दिनांक 31.3.97 तक इस प्रकार की शेष वसूलियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

(क) आवास बस्ती, पालमपुर :-

क्रम सं0	आबंटी का नाम	प्लाट/मकान संख्या	बकाया राशि
1.	श्री एस. सी. व्यास	एच.आई.जी. 6	815.00
2.	श्री हिमाल चन्द कटोच	-"- 7	6404.00
3.	श्री जी. एस. मिश्रा	-"- 95	87.00
4.	श्री के. सी. राणा	-"- 97	557.00
5.	श्री गैन्डा लाल बंसल	~~एम.आई.जी.~~ 8	261.00
6.	श्रीमति आशा बंसल	एच.आई.जी. 9	217.00
7.	श्री वी. पी. शर्मा	एम.आई.जी. 11	2815.00
8.	मेजर मलिक नाथ	-"- 15	2877.00
9.	श्री नवीन कुमार वालिया	-"- 16	3748.00
10.	श्री दीपक सूद	-"- 17	22.00
11.	श्रीमति आदर्श	-"- 20	1524.00
12.	श्रीमति जगदम्बा देवी	एम.आई.जी. 38	4417.00
13.	डा. के. के. परमार	-"- 52	4484.00
14.	श्रीराम प्रकाश नागपाल	एम.आई.जी. 55	1308.00
15.	श्री आर. सी. गुप्ता	-"- 56	3836.00
16.	श्रीमति जय देवी	-"- 57	1308.00
17.	श्री एच. एल. धीमान	-"- 58	2811.00
18.	निदेशक, को.आरडीनेटिंग	एम.आई.जी. 21 से 31	61506.00
19.	मुख्य अभियन्ता, पी एण्ड आर धर्मशाला	-"- 39,40 तथा 42	25352.00
20.	श्री एस. के. सद	-"- 41	354.00
21.	निदेशक, को-आरडिनेटिंग	-"- 44	8862.00
22.	श्री आर. पी. एस. कटवाल	-"- 46	8373.00

.....लगातार

23 निदेशक, सी.एस.आई.आर	एम.आई.जी.	47-48	15969.00
24 ले. कर्नल अशोक मल्होत्रा	-----"-----	50	8373.00
25 श्री पी.एस. मनकोटिया	एम.आई.जी.	34	217.00
26 श्रीमति चन्द्र कान्ता मल्होत्रा	-----"-----	35	5584.00
27 श्री मुख्य अभियन्ता (बी.आर.) धर्मशाला	एल.आई.जी.0	65 से 68	14410.00
28 श्री शेर सिंह	-----"-----	81	544.00
29 श्री आर.के. सूद	-----"-----	84	1308.00
30 श्रीमति राज पठानिया	-----"-----	86	149.00
31 निदेशक सीएसआईआर	-----"-----	87, 88, 90 से 93	22974.00
32 मुख्य अभियन्ता (बी आर) धर्मशाला	एच.आई.जी.	2, 3	18332.00
33 ब्रांच मैनेजर एग्रो इन्डस्ट्रीज	एल.आई.जी.	82	14.00
34 श्री मनोहर लाल शर्मा	एच.आई.जी.	71	2781.00
35 श्रीमति मीरा परमानी	-----"-----	73	130.00
36 श्री गोपाल कृष्ण सूद	-----"-----	74	130.00
37 श्री ओंकार चन्द सूद	-----"-----	75	926.00
38 श्री केवल कृष्ण गुप्ता	-----"-----	76	304.00
39 श्रीमति शारदा सिंह	-----"-----	52 ए0	501.00
			2,34,582.00

(ख) आवास बस्ती कांगड़ा :-

क्रम0सं0	आबंटी का नाम	मकान/प्लाट संख्या	बकाया राशि
1.	श्री मधु सूदन	2	1780.00
2.	के.सी. कटोच	6	1550.00
3.	श्री विश्वामित्र	1 तथा 15	298.00
4.	श्री एस.पी. शर्मा	16	855.00
5.	श्री एम.एल. शर्मा	17	199.00
6.	श्री रजनेश महाजन	18	855.00
7.	श्री मेजर रमेश चन्द	19	17.00
8.	श्री ओ.पी. शर्मा	20	855.00
9.	श्री एल.एल. शर्मा	21	855.00
10.	श्री राम स्नेही शर्मा	22	855.00
11.	श्री सत्यपाल शर्मा	24	186.00
12.	श्री रवि कुमार शर्मा	25	855.00
13.	एम.एल. शर्मा	26	186.00
14.	श्री रैनो कुमार	27	248.00
15.	एस.के. चौधरी	28	1091.00

.......लगातार.

16. श्रीमति रेखा कुमारी	29	855.00
17. श्री गोपाल कृष्ण	33	186.00
18. श्री पी. एस. नैयर	34	855.00
19. सी. एम. भारद्वाज	35	23.00
20. श्री रमेश चन्द शर्मा	36	855.00
21. श्री ए. एस. माथुर	1 व 37	199.00
22. श्री हरपाल सिंह	38	78.00
23. श्री देस राज शर्मा	39	855.00
24. श्री आर. के. सूद	40	855.00
25. श्री के. सी. भारद्वाज	42	855.00
26. श्री सुरेन्दर कुमार	43	17.00
27. श्री राम चन्द शर्मा	45	855.00
28. श्री सन्जीव कुमार	46	78.00
29. श्री के. के. दुग्गल	47	79.00
30. श्री ललित खन्ना	48	855.00
31. श्रीमति गुरप्यारी	49	855.00
32. श्री रमेश चन्द अरोड़ा	50	248.00
33. मेजर एस. आर. शर्मा	51	855.00
34. श्रीमति ऊषा मनोचा	52	186.00
35. श्री सी. के. टेलर	53	855.00
36. श्री सन्जीव हाण्डा	54	1108.00
37. श्री ए. एल. अबरोल	59	497.00
38. श्री राजिन्द्र कुमार	62	497.00
39. श्री अनिल सूद	61	497.00
40. श्री नरेन्दर कुमार	63	497.00
41. श्रीमति सरिता थापर	65	497.00
42. श्री हरेन्दर कुमार	67	11.00
43. श्री राम स्वरूप शर्मा	69	116.00
44. श्री बृज मोहन शर्मा	70	116.00
45. श्री महेन्दर सिंह	71	497.00
46. श्री विनोद कुमार	72	497.00
47. श्रीमति मोतिया रानी	73	116.00
48. श्रीमति रूपा खन्ना	74	497.00
49. श्रीमति ऊषा नागपाल	75	497.00
50. श्री प्रमोद भाटिया	76	116.00
51. श्रीमति विमला सैनी	83	116.00
52. श्री विजय प्रकाश	84	116.00
53. श्रीमति सन्तोष शर्मा	85	497.00
54. श्री अविनाश कुमार	86	497.00
55. श्री विनोद कुमार शर्मा	1	430.00
56. श्री कन्हैया लाल	4	430.00

.....लगातार....

57.	श्री वेद प्रकाश चौधरी	5	438.00
58.	श्री राजेन्द्र कुमार	7	438.00
59.	श्री प्रदीप राज	8	438.00
60.	श्री मोहन लाल	9	438.00
61.	श्री दलीप कुमार	10	438.00
62.	श्री जनक वाल्टा	11	360.00
63.	श्रीमति गुलशन रानी	40	19.00
64.	श्री विनय कुमार	12 ए	52.00
65.	श्री कनवाल मोंगा	41	102.00
66.	श्रीमति कुंज गोयल	43	438.00
67.	श्री रनजीत शर्मा	44	438.00
		कुल जोड़	32,891.00

6. कार्य का नाम :- चिलगाड़ी (धर्मशाला) में हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण (12 नम्बर टाईप-II क्वाटर्ज (ग्रुप-I) आन्तरिक पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज इन्सटालेशन सहित (ब्लॉक 1 व 2))

अनुबन्ध संख्या : 2 वर्ष 1995 -96

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या डी.डी. /ए.बी/डब्ल्यू-7/94, 230-36 दिनांक 24.4.95 द्वारा ठेकेदार श्री मुकेश कुमार महाजन को कुल राशि 22,07,741.96 रू0 के लिए किया गया। इस कार्य के प्रथम चालू बिल से लेकर छठे चालू बिल तक का विस्तृत अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

(क)(i) टेन्डर खोलने के उपरान्त संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दरों को बदलकर बढ़ाए जाने के फलस्वरूप राशि 74260.80 रू0 का सम्भावित दुर्विनियोजन।

निम्नवर्णित अनुबन्धों द्वारा संविदाकारों को आबंटित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि इन संविदाकारों द्वारा टैंडर में निम्न वर्णित मदों के विरूद्ध जो दरें भरी थी उन्हें टैंडर खोलने के उपरान्त तुलनात्मक विवरणी एवं टैन्डर पर काट-छांट (overwriting), करके बदल कर बढ़ा दिया गया था। विभिन्न संविदाकारों द्वारा प्रत्येक मद हेतु टैंडर में भरी दरों को टैंडर खोलने के तुरन्त उपरान्त मण्डल कार्यालय के एक टेन्डर ओपनिंग रजिस्टर में दर्ज किया गया था और जिसे सम्बन्धित संविदाकारों, मण्डलीय लेखाकार, प्रारूपकार तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर करके सत्यापित किया गया था। इस रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों द्वारा टैन्डर में जो दरें वास्तव में भरी थीं, वही दरें उक्त रजिस्टर पर भी दर्ज थी। परन्तु संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निम्न वर्णित संविदाकारों द्वारा अपने टैंडर

...लगातार.

में अंकित दरों को मण्डल के किसी कर्मचारी/अधिकारी की मिली भगत से काट छांट करके बदल कर बढ़ा दिया गया प्रतीत होता है । इस गम्भीर अनियमितता के कारण प्रत्येक निर्माण कार्यों में इन मदों की अनुमानित मात्रा के अनुसार सम्भावित दुर्विनियोजन होने वाली राशियों का तथा दिनांक 31.3.97 तक प्रत्येक मद की निष्पादित मात्रा के आधार पर दुर्विनियोजन की गई राशियों का विवरण निम्न दिया जाता है :-

[illegible]

	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या	मद संख्या	अनुमानित कार्य प्रमात्रा	31.3.97 तक निष्पादित कार्य मात्रा	बदली हुई दर	वास्तविक दर	सम्भावित दुर्विनियोजन की राशि	वास्तविक दुर्विनियोजन की राशि 31.3.97 तक
मुकेश महाजन	बी.ओ.एस.ई 12 नं0 टाईप 2 क्वार्टर्ज ग्रुप-1 किलगाड़ी	2 वर्ष 95-96	15 परिशिष्ट "ए"	568.84 वर्ग मी.	360.47 वर्ग मी.	3608 रु0	300 रु0	34130.40 रु0	21628.20 रु0
यथोपरि	-यथोपरि- ग्रुप-2	10 वर्ष 95-96	-"-	-"-	शून्य	360 रु	300 रु	34130.40	शून्य
विजय महाजन	बाह्य सिवरेज सिस्टम एवं जल आपूर्ति बी.ओ.एस.ई. क्वार्टर्ज किलगाड़ी	28 वर्ष 96-97 (ए)	5 (iii)	6 अदद	4 अदद	3400 रु	2400 रु	6000 रु	4000 रु
								74260.80	25628.20

यह गम्भीर मामला सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के निजी ध्यान में तथ्यों की पूर्ण छानबीन के उपरान्त दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं दुर्विनियोजन की गई राशियों की शीघ्र वसूली हेतु लाया जाता है । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(iii) उक्त कार्य के परिशिष्ट "ए" में वर्णित सिविल कार्य की अनुमानित लागत मु0 9,11,554.00 रु0 थी तथा यह कार्य ठेकेदार को मु0 20,56,606.66 रु0 के लिए आवंटित किया गया था । इस प्रकार यह कार्य हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 के आधार पर 125.615% अधिक के प्रीमियम पर आवंटित किया गया था परन्तु यदि उक्त पैरा क (i) में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत संविदाकार द्वारा टैंडर में अंकित दरें यदि बदल कर बढ़ाई न जाती तो यह कार्य वास्तव में 121.87% अधिक के प्रीमियम पर ही आवंटित होना था । आगे अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित बहुत सी मदें अतिरिक्त रूप में या दत्तो दुए रूप में ठेकेदार से निष्पादित कराई गई है तथा ऐसी मदों की

....लगातार....

....

दरें ठेकेदार के कुल प्रीमीयम 125.615% के आधार पर विश्लेषण करके निर्धारित की गई थी जबकि वास्तव में यह दरें 121.87% का कुल प्रीमीयम लगाकर निर्धारित होनी चाहिए थी। अतः ऐसी सभी मदों की दरें सही प्रीमीयम लगाकर शीघ्र संशोधित की जाए तथा इसके फलस्वरूप ठेकेदार को अधिक किए गए भुगतान, यदि कोई हो, की राशि की सम्बन्धित/दोषी व्यक्ति से शीघ्र वसूली करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए।

(ख) प्रथम चालू बिल के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत प्रविष्टियों का विवरण माप पुस्तिका संख्या 753/95 के पृष्ठ 1 से 9 तक पर दर्ज किया गया था। बिल की मद संख्या 5 (ए) की कार्य मात्रा 54.23 घन मी. का भुगतान 1350.00 रु0 प्रति घन मी. की दर से ठेकेदार को किया गया इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 752/95 के पृष्ठ 14 व 15 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच के दौरान पाया गया कि कालमों के टेपर्ड भाग में किए गए 1:2:4 में सीमेंट कन्करीट के निर्माण कार्य के माप की गणना करने हेतु निर्धारित सूत्र ऊंचाई/3 (ए + $ए^2$ + $\sqrt{ए \times ए_2}$) का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था। इस अनियमितता के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार ठेकेदार को कार्य मात्रा 5.82 घन मी. का 1350 रु0 प्रति घन मी. की दर से राशि 7857.00 रु. का अधिक भुगतान किया गया :-

कालम का विवरण व संख्या	बॉटम क्षेत्रफल (व. मी.)	टॉप क्षेत्रफल (व. मी.)	ऊंचाई मी. में	देय मात्रा (घन मी.)	दत्त मात्रा (घन मी.)		अधिक दत्त मात्रा (घन मी. में)
ए1 = 1	2.40	0.16	0.25	0.26	0.32		0.06×1=0.06
ए2 व ए5=2	3.42	0.16	0.40	1.15	1.43		0.28
ए3 व ए4=2	3.50	0.16	0.45	1.32	1.64		0.32
बी2 व बी 5 =2	4.41	0.16	0.50	1.80	2.28		0.48
बी1 = 1	3.80	0.16	0.45	0.71	0.89		0.18×1=0.18
बी3 व बी4 = 2	4.02	0.16	0.50	1.66	2.01		0.35
सी1=1	2.56	0.16	0.30	0.33	0.40		0.07×1=0.07
सी2 व सी5=2	3.42	0.16	0.40	1.14	1.43		0.29
सी3 व सी4=2	2.89	0.16	0.30	0.74	0.91		0.17
ए6 व ए6 =1	4.62	0.30	0.70	1.42	1.72	भाग "ए"	0.30×1=0.30
बी6 व बी6=1	7.56	0.30	1.00	3.12	3.93		0.81×1=0.81
सी6 व सी6=1	4.84	0.30	0.70	1.48	1.79	1.42	0.31×1=031

अधिक भुगतान मात्रा प्रथम ब्लाक = 3.62

द्वितीय ब्लाक की बराबर कार्य = 2.20

प्रमात्रा (भाग "ए" को छोड़कर 3.62-1.42)

कुल अधिक भुगतान की गई कार्य प्रमात्रा 5.82

....लगातार....

....लगातार....

इस प्रकार ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि 7857.00 रु0 की वसूली या तो ठेकेदार से या दोषी कर्मचारी से करने के साथ-2 इस कार्य में उपरोक्त अनियमितता के कारण अधिक उपयोग किए गए सीमेंट की 37.25 बोरियों (5.82 घन मी. x6.40 बैग प्रति घन मी.) की गणना भी कार्य की एम.एस. रजिस्टर में करनी सुनिश्चित की जाय ।

(ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में उपयोग किए गए 8 एम.एम व 10 एमएम के स्टील को मीटरों से कि0ग्राम में परिवर्तित करने हेतु निर्धारित फैक्टर लगाने की अपेक्षा गलत फैक्टर लगाया गया था । इस कारण ठेकेदार को निम्नलिखित विवरणानुसार 1711.09 कि0ग्राम स्टील का 15.75 रु0 की दर से राशि 26,950.00 रु0 का अधिक भुगतान किया गया था ।

माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ सं0	स्टील की प्रकार (मोटाई)	खपत की गई प्रमात्रा (कि. ग्रा.)	गलत फैक्टर से दत्त मात्रा (किग्रा.)	सही फैक्टर से देय मात्रा (कि. ग्रा.)	अधिक दत्त मात्रा (कि. ग्रा.)
752/95	11	8 एमएम	1058.20	518.52 (0.49)	412.70 (0.39)	105.82
-"-	11	10 एम एम	1999.15	1359.42 (0.68)	1239.47 (0.62)	119.95
-"-	22	8 एमएम	955.50	468.19 (0.49)	372.65 (0.39)	95.94
-"-	25	-"-	955.50	468.19 (0.49)	372.65 (0.39)	95.94
-"-	30	-"-	1531.80	750.58 (0.49)	597.40 (0.39)	153.18
-"-	41	-"-	3387.76	1660.00 (0.49)	1321.23 (0.39)	338.77
-"-	-"-	10 एमएम	128.00	87.04 (0.68)	79.36 (0.62)	7.68
753//95	16	8 एमएम	3355.99	1644.44 (0.49)	1308.84 (0.39)	335.60
-"-	-"-	10 एमएम	128.00	87.04 (0.68)	79.36 (0.62)	7.68
-"-	20	8 एमएम	1531.80	750.58 (0.49)	597.40 (0.39)	153.18
-"-	31	-"-	1373.20	542.41 (0.395)	535.55 (0.39)	6.86
-"-	-"-	-"-	1914.68	938.19 (0.49)	746.73 (0.39)	191.46
-"-	-"-	10 एमएम	25.30	17.20 (0.68)	15.69 (0.62)	1.51
-"-	37	8 एमएम	3274.08	1293.26 (0.395)	1276.89 (0.39)	16.37

..लगातार..

........लगातार....

753/95	37	10 एमएम	25.30	48.06 (0.68)	15.69 (0.62)	1.51
752/95	56	8 एमएम	394.19	155.70 (0.395)	153.73 (0.39)	1.97
-"-	-"-	10 एमएम	26.64	18.11 (0.68)	16.51 (0.62)	1.60
-"-	57	8 एमएम	394.19	155.70 (0.395)	153.73 (0.39)	1.97
-"-	-"-	10 एमएम	26.64	18.11 (0.68)	16.51 (0.62)	1.60
-"-	59	8 एमएम	1531.80	605.06 (0.395)	597.40 (0.39)	7.66
753/95	61	8 एमएम	394.19	155.70 (0.395)	153.73 (0.39)	1.97
-"-	-"-	10 एमएम	26.64	18.11 (0.68)	16.51 (0.62)	1.60
-"-	62	8एमएम	394.19	155.70 (0.395)	153.73 (0.39)	1.97
-"-	-"-	10 एमएम	26.64	18.11 (0.68)	16.51 (0.62)	1.60
-"-	69	8 एमएम	1430.40	565.00 (0.395)	557.85 (0.39)	7.15
-"-	76	-"-	1656.00	654.12 (0.395)	645.84 (0.39)	8.28
-"-	-"-	10 एमएम	67.20	45.69 (0.68)	41.66 (0.62)	4.03
835/96	3	8 एमएम	788.38	311.41 (0.395)	307.47 (0.39)	3.94
-"-	25	10 एमएम	345.64	235.03 (0.68)	214.30 (0.62)	20.73
-"-	-"-	8 एमएम	715.97	282.80 (0.395)	292.23 (0.39)	13.57

कुल अधिक दत्त मात्रा (कि. ग्रा. में) 1711.09

इस प्रकार स्टील को कि0ग्रा0 में परिवर्तित करने हेतु लगाए गए गलत फैक्टर के कारण जो राशि 26,950/- रु0 का अधिक भुगतान हुआ है उसकी वसूली तुरन्त या तो संबंधित ठेकेदार से या दोषी कर्मचारी से करने के साथ-2 1711.09 कि0ग्रा0 स्टील की गणना कार्य के स्टाक रजिस्टर में भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापित करायी जाए।

....लगातार....

(घ) ठेकेदार को मु0 1185.60 रू0 की राशि का दोहरा भुगतान :-

छठे चालू बिल से सम्बन्धित कार्यों की लागत प्रविष्टियों का विवरण माप पुस्तिका संख्या 835/96 के पृष्ठ 43 से 80 तक दर्ज किया गया था। अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि इस माप पुस्तिका के पृष्ठ 31 पर " प्रोवाइडिंग" एण्ड फिक्सिंग ब्राईट फिनिश्ड/ब्लैक अनीलड आयरन हेलीकोड डोर स्प्रींग (150 एम.एम.) " के कार्य से संबन्धित रिकार्ड प्रविष्टि के अनुसार निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 32 नम्बर का ठेकेदार को दो बार भुगतान किया गया था। प्रथमतः बिल की मद संख्या 44 (अतिरिक्त) (माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 63) द्वारा 37.00 रू0 प्रत्येक की दर से तथा दोबारा बिल की मद संख्या 55 (अतिरिक्त) (माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 67) द्वारा 37.55 रू0, प्रत्येक की दर से ठेकेदार को एक ही मद के निष्पादन हेतु दो बार भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिसे उच्चाधिकारियों की सूचना में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि उक्त वर्णित अतिरिक्त मद की अनुमोदित दर 37.55 रू0 प्रत्येक थी इसलिए ठेकेदार को बिल की मद संख्या: 44 (अतिरिक्त) द्वारा कार्य प्रमात्रा 32 नम्बर के लिए 37.05 रू0 की दर से किए गए राशि 1185.60 रू0 के दोहरे भुगतान की तुरन्त या तो ठेकेदार से अन्यथा दोषी कर्मचारी से वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) ठेकेदार को राशि 1440/-रू0 का अधिक भुगतान :-

चतुर्थ बिल से सम्बन्धित लागत प्रविष्टियों का विवरण माप पुस्तिका संख्या 752/95 के पृष्ठ 85 से 98 तक किया गया था। बिल की मद संख्या 15 की कुल कार्य प्रमात्रा 360.47 वर्ग मी. का भुगतान ठेकेदार को प्रथमतः आंशिक दर 350/-रू0 प्रति वर्ग मी. तथा उसके उपरान्त छठे बिल की मद संख्या 15 द्वारा पूर्ण दर 360/-रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 51) इस कार्य मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 753/95 पृष्ठ 79 से अग्रेषित 77.58 वर्ग मी. मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी गणना की जांच पर पाया गया कि यह मात्रा वास्तव में केवल 73.58 वर्ग मी. ही थी तथा इस मात्रा को गलती से 77.58 वर्ग मी. अग्रेषित किया गया था। इस प्रकार ठेकेदार को 4 वर्गमी. (77.58-73.58) की मात्रा का 360/-रू0 प्रति वर्गमी. की दर से राशि 1440/- रू0 का अधिक भुगतान किया गया था। इस राशि की वसूली शीघ्र ठेकेदार से या दोषी कर्मचारी से करने के साथ-2 उक्त कार्य मात्रा हेतु दर्शाए गए अधिक सीमेंट के उपयोग की गणना कार्य प्रमाणस रजिस्टर में करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

(च)(i) छठे बिल की मद संख्या 35 (माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 60) की मात्रा 995.07 वर्ग मी. का भुगतान 8/-रू0 प्रति वर्ग मी.

.....लगातार....

की दर से ठेकेदार को किया गया था । इस कार्य प्रमात्रा की माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ-36 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि की गणना पर पाया गया कि शीशे वाली खिड़कियों की फ्रेमों व चौखटों पर प्राईमरी कोट करने से सम्बन्धित कार्य के माप की गणना करते समय 0.80 का फैक्टर लगाया गया था । जबकि सी. पी. डब्लयू डी की स्टैंडर्ड स्पेसीफिकेशन 1977 पाठ 12 की क्लॉज 13.22.6.4 के अनुसार उक्त गणना हेतु 0.50 फैक्टर निर्धारित था इस प्रकार गलत फैक्टर लगाए जाने के कारण ठेकेदार को निम्नलिखित विवरणानुसार मात्रा 60.84 वर्ग मी. का 8/-रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 486.72 रु0 का अधिक भुगतान हुआ । इस राशि की तुरन्त वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ।

खिड़कियों का विवरण	दत्त मात्रा वर्ग फुट में	सही कोऐफिशिन्ट 0.50 लगाने पर देय मात्रा	अधिक दत्त मात्रा वर्ग फुट में
डब्लयू	537.60	12×2×0.50×7.0×4.0 = 336.00	201.06
डब्लयू 1	460.80	12×2×0.50×6.0×4.0 = 288.00	172.80
डब्लयू 2	748.80	4×12×2×0.50×3.0×3.3 =468.00	280.80
		कुल (वर्ग फुट में)	654.66 या
			60.84 वर्ग मी.

(iii) इसी प्रकार इसी बिल की मद संख्या 36 (माप पुस्तिका सं0 835/96 पृष्ठ-60) की कुल कार्य प्रमात्रा 1173.47 वर्ग मी. अर्थात 391.15 वर्ग मी. का 18/-रु0 तथा मात्रा 782.32 वर्ग मी. का 20/-रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया । इस प्रमात्रा की माप पुस्तिका संख्या:835/96 पृष्ठ 37 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि की जांच पर पाया गया कि इस प्रमात्रा में भी उपरोक्त पैरा (ii) में वर्णित कार्य प्रमात्रा 995.87 वर्ग मी. सम्मिलित थी जबकि यह वास्तव में 60.84 वर्ग मी. कम अर्थात 935.03 वर्ग मी. ही होनी थी इस प्रकार ठेकेदार को कार्य प्रमात्रा 60.84 वर्ग मी. का अर्थात 20.28 वर्ग मी. का 18/-रु0 तथा शेष 40.56 वर्ग मी. का 20/-रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 1176.24 रु0 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली शीघ्र करके अनुपालना से निरीक्षण को अवगत कराया जाये ।

(ठ) निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार निष्पादित की जाने वाली मदों की मात्रा तथा वास्तव में छठे चालू बिल तक निष्पादित किए गए कार्य की मात्रा में बहुत अन्तर था जिनमें कुछ मुख्य मदों का विवरण निम्न है :- 55

निरीक्षण
मान्य प्रतिवेदित

....लगातार..

क्रम सं0	अनुबन्ध की मदें संख्या	अनुमानित मात्रा	छठे चालू बिल तक निष्पादित मात्रा	विचलन मात्रा	प्रतिशत
परिशिष्ट "ए"					
1.	1.	183.64 मी.^{3}	233.38 मी.^{3}	49.74 मी.^{3}	27.68
2.	3(बी)	344.98 मी.^{2}	454.32 मी.^{2}	109.34 मी.^{2}	31.69
3.	3(डी)	307.82 मी.^{2}	691.05 मी.^{2}	383.23 मी.^{2}	124.50
4.	4	14.50 मी.^{3}	52.49 मी.^{3}	37.99 मी.^{3}	262.00
5.	8(ए)	40.80 मी.^{3}	54.23 मी.^{3}	13.49 मी.^{3}	30.38
6.	8(डी)	2.50 मी.^{3}	4.32 मी.^{3}	1.82 मी.^{3}	72.80
7.	9	1.92 मी.^{3}	5.54 मी.^{3}	3.62 मी.^{3}	188.54
8.	10	18298 कि.ग्रा.	32712.14 कि.ग्रा.	14414.14 कि.ग्रा.	78.77
9.	17	134.28 मी.^{2}	179.88 मी.^{2}	45.60 मी.^{2}	33.96
10.	26(i)	92 नं0	116 नं0	24 नं0	26.08
11	26(ii)	236 नं0	404 नं0	168 नं0	71.18
12	26(iii)	48 नं0	192 नं0	144 नं0	300.00
13	39(ii)	10.96 क्विंटल	17.41 क्विंटल	6.45 क्विंटल	58.85
14	42	486.56 मी.^{2}	995.87 वर्ग मी.	509.31 वर्ग मी.	104.68
15	44	486.56 मी.^{2}	1173.45 मी.^{2}	686.89 वर्ग मी.	141.17
16	46	11020.80 सै.मी. चौड़ाईxमी.	18231.48 सै.मी. चौड़ाईxमी.	7210.68 सै.मी. चौड़ाईxमी.	65.43
17	50	268.74 मी.^{2}	405.85 मी.^{2}	137.11 मी.^{2}	~~65~~ 51.02
परिशिष्ट "बी"					
18	8(i)	180 नं0	280 नं0	180 नं0	55.56
19	9(i)	24 नं0	36 नं0	12 नं0	50.00

उपरोक्त मदों में निर्धारित सीमा से अत्याधिक मात्रा में विचलन के सन्दर्भ में आगामी अंकेक्षण के दौरान वस्तु-स्थिति से अवगत करवाया जाए और इस बारे में कारणों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ज) निम्नलिखित विवरणानुसार छठे चालू बिल तक मु0 2,12,82 रु0 30 पैसे की अतिरिक्त एवं बदली हुई मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं दरों का अनुमोदन करवाए बगैर ही करवाया गया । अतः इस अनियमितता बारे कारणों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त प्रत्येक मद के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विश्लेषण दर xxxx आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाए जाएं :-

बिल की मद सं0	मात्रा	दत्त दर (रु0)	भुगतान की गई राशि (रु0)
49 (अतिरिक्त)	92.94 मी.^{2}	250 रु0 प्रति वर्गमी. (आंशिक दर)	23,235.00

50	(अतिरिक्त)	43.26 मी.^{2}	200 रु0 प्रति मी.^{2} (आंशिक दर)	8652.00
51	(अतिरिक्त)	178.01 मी.^{2}	530 रु0 प्रति मी.^{2} (आंशिक दर)	94345.30
54	(अतिरिक्त)	182.20 मी.^{2}	45 रु0 प्रति मी.^{2} (आंशिक दर)	8199.00
56	(अतिरिक्त)	122.04 वर्गमीटर	450 रु0 प्रति मी.^{2} (आंशिक दर)	54918.00
57	(अतिरिक्त)	58.68 वर्ग मी.	400 रु0 प्रति व.मी. (आंशिक दर)	23472.00
			कुल	2,12,821.30

(झ) छठे चालू बिल की मद संख्या : 47 (अतिरिक्त) की कार्य प्रमात्रा 1927.35 वर्ग मी. का भुगतान 10 रु0 प्रति वर्ग मी. (आंशिक दर) की दर से किया गया था। इस अतिरिक्त मद की दर विश्लेषण की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इसकी दर 12.30 रु0 प्रति वर्ग मी. निर्धारित की गई थी जबकि इस मद का दर निर्धारण अनुबन्ध की क्लॉज 12(II) के अन्तर्गत निम्नलिखित समान मदों की दरें के अनुपातिक आधार पर निम्न विवरणानुसार 8.88 रु0 प्रति वर्ग मी. ही बनता था :-

एच.पी.एस.आर 1987 की मद संख्या व दर		संविदाकार द्वारा अनुबन्ध के परिशिष्ट "ए" में अंकित दर व मद संख्या	
17.138	0.65 रु0 प्रति वर्ग मी.	2.00 रु0 प्रति वर्ग मी.	48
17.144	1.15 रु0 प्रति वर्गमी.	2.00 रु0 प्रति वर्ग मी.	49
	1.80	4.00	

मानक दर अनुसूची की दरों और ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में अंकित दरों की ओवरआल प्रीमीयम की प्रतिशतता 122.22 % अधिक

$$\left(\frac{4.00 - 1.80}{1.80} \times 100\right)$$

— मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या : 17.164 की दर = 4.00 रु0 प्रति वर्ग मी.

— ओवर आल प्रीमीयम की प्रतिशतता जोड़ने पर निर्धारित दर = 4.00 + 4.88 = 8.88 रु0 प्रति वर्ग मी.

इस प्रकार कार्य प्रमात्रा 1927.35 वर्ग मी. का 8.88 रु0 की अपेक्षा 12.30 रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से भुगतान करने पर संविदाकार को कुल राशि 6592/- रु0 (1927.35 वर्ग मी. × (12.30 - 8.88)) का ठेकेदार को पहले ही अधिक भुगतान हो चुका है। अत: इस राशि की वसूली ठेकेदार से तुरन्त करने के साथ-2 भविष्य में इस मद का सही दर 8.88 रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

....लगातार...

( ) इसी प्रकार बिल की मद संख्या :52 (अतिरिक्त) व मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 18.26 (i) का दर निर्धारित अनुबंध की मद संख्या 17 व मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 12.5 (iii) (ही) हेतु ठेकेदार के प्रीमीयम 149.882% अधिक के आधार पर 229.00 रु0 प्रति वर्ग मी. निर्धारित किया गया था । जबकि उस अतिरिक्त मद का दर निर्धारण अनुबंध की क्लॉज 12 (III) के अन्तर्गत टेंडर के परिशिष्ट "ए" के ओवरआल प्रीमीयम 121.87% अधिक (इस सन्दर्भ में पैरा क (ii) देखें) लगाकर केवल 203.34 रु0 प्रति वर्ग मी. ही बनता था । अतः इस प्रकार ठेकेदार को कुल कार्य प्रमात्रा 16.51 वर्ग मी. (माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 66) का 203.34 की अपेक्षा 229/-रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से भुगतान करने पर कुल राशि 423.65 रु0 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ट) छठे चलत बिल की मद संख्या 16/16 की कार्य प्रमात्रा 8.71 घन मी. का भुगतान संविदाकार को 25000/-रु0 प्रति घन मी. की दर से किया गया था । इस कार्य मद की रिकार्ड प्रविष्ठि की जाँच करने पर पाया गया कि दरवाजों की चौखटें क्रमशः 3'0×6'-10$\frac{1}{2}$", 2'-9"×10$\frac{1}{2}$" तथा 2'6"×6'10$\frac{1}{2}$" के आकार की बनवाई/लगवाई गई थी तथा इनकी चौड़ाई व मोटाई 2$\frac{1}{2}$" व 4" थी परन्तु इस कार्य की ड्राईंग संख्या 169, जो सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला-2 से स्वीकृत थी, के अनुसार दरवाजों की चौखटें क्रमशः 3'0×6'9", 2'9"×6'9" तथा 2'6"×6'9" के आकार की बनवाई/लगवाई जानी वांछित था । आगे कार्य अनुबंध की सामान्य स्पेसिफिकेशन व शर्त संख्या 39 के अनुसार "the working Drawings and layout plan duly Approved by the competent Authority should be followed during execution" ।
अतः उपरोक्त कार्य के निर्माण के दौरान ब्लॉक । व 2 के 12 सैटों में लगाए गए 56 दरवाजों के स्वीकृत ड्राईंग में दिए गए आकार को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बदल दिया गया जिससे बोर्ड को 0.028 घन मी. (56×2×1$\frac{1}{2}$"×(6'10$\frac{1}{2}$"—6'9")×2$\frac{1}{2}$"×4") का 25,000/-रु0 प्रति घन मी. की दर से राशि 700/-रु0 का अधिक भुगतान करना पड़ा । अतः या तो दरवाजों की चौखटों के आकार में बदलाव को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई 700/-रुपये की वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ठ)(i) छठे बिल की मद संख्या 36/44 (ए) की मात्रा 391.15 वर्ग मी. का 18/-रु0 (आंशिक दर) (20/-रु0 अन्तिम दर) प्रति वर्ग मी. से तथा मद संख्या 36/44 (बी) (बदली हुई मद) की मात्रा 782.32 वर्ग मी. का 20/-रु0 (आंशिक दर) (26.40 रु0 अन्तिम दर) प्रति वर्ग मी. की दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया है (माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 60) इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या : 835/96 पृष्ठ 37 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि की जांच करने पर पाया

...लगातार..

गया कि यह मात्रा लकड़ी पर दो कोट पेंटिंग के करने से सम्बन्धित थी तथा इसकी कुल प्रमात्रा 1173.47 वर्ग मी. को अनुबंध की मद संख्या (44 तथा डि0एस0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 16.43(2) के अनुरूप ही निष्पादित किया दर्शाया गया था परन्तु बाद में रिकार्ड प्रविष्टि में इन्टरपोलेशन से एडीशन करके कुल कार्य प्रमात्रा 1173.47 वर्ग मी. का एक मुश्त एक तिहाई भाग अर्थात 391.15 वर्ग मी. मात्रा को अनुबंध की मद संख्या 44 के अनुरूप निष्पादित दर्शाकर बिल की मद संख्या 36/44(ए) द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार भुगतान किया गया तथा शेष दो-तिहाई भाग अर्थात 782.32 वर्ग मी. मात्रा को एक मुश्त में बदली हुई मद की मात्रा दर्शाकर बिल की मद संख्या 36/44(बी)(बदली हुई मद) द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार भुगतान किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार कार्य की प्रत्येक मात्रा के माप माप पुस्तिका में काल्पनिक आधार पर एक मुश्त में न रिकार्ड करके वास्तविक आधार पर विस्तृत में दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है । इन वर्णित तथ्यों से ऐसा संभव है कि कार्य की कुल प्रमात्रा 1173.47 वर्ग मी. का निष्पादन अनुबंध की मद संख्या 44 के अनुरूप ही किया गया है न कि बदली हुई मद के रूप में तथा केवल ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु कुल कार्य प्रमात्रा का दो-तिहाई भाग अर्थात 782.32 वर्ग मी. मात्रा (1173.47x2/3)को बाद में एक मुश्त में बदली हुई मद के रूप में निष्पादित किया हुआ दर्शाकर उच्च दर से भुगतान किया गया है । अतः यह सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों की सूचना में पूर्ण छान-बीन उपरान्त दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा ठेकेदार को किए गए/किए जाने वाले अनुचित भुगतान की राशि 5006.32 रू0 (782.32x(26.40-20.00) अन्तिम दरों के आधार पर) को ब्याज सहित तुरन्त वसूल करने हेतु लाया जाता है ।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्य की कुल प्रमात्रा 1173.47 वर्ग मी. जो कि लकड़ी पर दो कोट पेंटिंग के कार्य से सम्बन्धित दर्शाई गई थी, में 177.60 वर्ग मी. जोकि नई कन्करीट/मैसनरी, एसबेस्टस सीमेंट शीट तथा प्लास्टर सतह इत्यादि के कार्य से सम्बन्धित थी, की मात्रा भी सम्मिलित करके ठेकेदार को भुगतान किया गया जोकि अनियमित/अनुचित है क्योंकि अनुबन्ध की मद संख्या 44 के अनुसार ठेकेदार को केवल लकड़ी व लकड़ी वाली सतह पर दोकोट पेंटिंग के कार्य हेतु ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था न कि कन्करीट/मैसनरी, एसबेस्टस सीमेंट शीट तथा प्लास्टर सतह इत्यादि के पेंटिंग के कार्य हेतु भी । इस प्रकार ठेकेदार को 177.60 वर्ग मी. मात्रा अर्थात 59.20 वर्गमी. (177.60x1/3) का 10/-रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से तथा 118.40 वर्ग मी. (177.60x2/3) का 20/-रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 3433.60 रू0 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली तुरन्त सम्बन्धित व्यक्ति से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए ।

(ड) छठे चलत बिल के परिशिष्ट "बी" की मद संख्या 13(अतिरिक्त) मानक दर अनुसूची 1983 की मद संख्या 9.135 की कार्य मात्रा 12

....लगातार...

नम्बर का भुगतान 120/- रु० (आंशिक दर) से किया गया था । इस अतिरिक्त मद के दर विश्लेषण की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि 143.95 रु० प्रत्येक निर्धारित अनुबन्ध की क्लॉज 12(ii) के अन्तर्गत निम्न-लिखित समान मदों की दरों के अनुपात के आधार पर निम्न विवरणानुसार 137.58 रु० प्रत्येक ही बनता था ।

एच. पी. एस. आर 1993 की मद संख्या व दर		संविदाकार द्वारा अनुबन्ध के परिशिष्ट "बी" में अंकित दर व मद संख्या :	
9.133(i)(ए)	62.40 रु० प्रत्येक	140/- रु० प्रत्येक	16(i)
9.133(ii)(ए)	68.15 रु० प्रत्येक	140/- रु० प्रत्येक	16(ii)
	130.55	280.00	

— मानक दर अनुसूची की दरें और ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में अंकित दरों की ओवरआल प्रीमीयम की प्रतिशतता = 114.47 % $\left(\frac{280 - 130.55}{130.55} \times 100\right)$

— मानक दर अनुसूची 1993 की मद संख्या 9.135 की दर = 64.15 रु० प्रत्येक

इसलिए ओवर आल प्रीमीयम की प्रतिशतता जोड़ने पर निर्धारित दर = 64.15 + 73.43 = 137.58 रु० प्रत्येक

इस प्रकार ठेकेदार को कुल कार्य व मात्रा 12 नम्बर का 137.58 रु० की अपेक्षा 143.95 रु० (अन्तिम दर) प्रत्येक की दर से भुगतान करने पर कुल 76.44 रु० (12×(143.95−137.58)) का अधिक भुगतान हो जाएगा जिसकी ठेकेदार से शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ट) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 835/96 पृष्ठ 79 पर दर्शाई गई सामान जारी विवरणी के अनुसार अन्य कार्यों से उक्त कार्य हेतु अथवा इस कार्य से अन्य कार्यों हेतु इसे चलत बिल तक निम्न लिखित विवरणानुसार सीमेंट व सरिये की मात्रा हस्तांतरित की गई थी परन्तु अंकेक्षण समय तक न तो इस सम्बन्ध में वांछित समायोजन ही लेखाओं में दर्शाया गया था और न समायोजन प्रविष्टियों से सम्बन्धित वाउचर ही अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए गए । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए :-

इन्डैंट संख्या व दिनांक	सामान जो दूसरे निर्माण कार्यों को जारी किया का विवरण	सामान जो दूसरे निर्माण कार्यों से प्राप्त किया, का विवरण
8970 माह 8/96	—	सीमेंट = 80 बैग स्टील 8 एमएम = 3 एम. टी. 12 एमएम = 3 एम. टी

....लगातार...

8953 माह 5/96 स्टील 10 एमएम = 10एम.टी. ----
12 एमएम =0.50एम.टी
16 एमएम=0.20 एमटी.

9108 माह 10/96 स्टील 22 एमएम=1.38 एम.टी. ----

(ग) छठे चलत बिल की मद संख्या 14 की कार्य मात्रा 26.38 घन मी. का भुगतान 550/-रु0 प्रति घन मी. की दर से ठेकेदार को किया गया था। इस मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 753/95 के पृष्ठ 42 से 10.83 घन मी. तथा माप पुस्तिका संख्या: 644/92 के पृष्ठ 100 से 9.20 घन मी. की प्रमात्रा शामिल थी। जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच पर पाया गया कि यह मात्रा ब्लॉक की आन्तारिक दीवारों फाउंडेशन चिणाई से सम्बन्धित थी। आगे इस कार्य से सम्बन्धित खुदाई व 1:6:12 के अनुपात में सीमेंट कन्करीटिंग के कार्य की माप पुस्तिका संख्या: 753/95 के पृष्ठ 39 व 40 तथा माप पुस्तिका संख्या 644/92 के पृष्ठ 98 व 99 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों से विदित होता है कि आन्तरिक दीवारों की नींव के लिए 2.6" की खुदाई की गई थी तथा उसके उपरान्त इनमें 0.6" मोटाई की 1:6:12 के अनुपात में सीमेंट कन्करीट डाली गई थी। इस प्रकार नींव में चिणाई शेष 2' (2.6"-0.6") गहराई में होनी अपेक्षित थी जबकि निम्नलिखित कुछ दीवारों में यह चिणाई 2.0 की अपेक्षा 2.6" की ही गहराई में रिकार्ड की गई है :-

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	आन्तरिक दीवार का विवरण	खुदाई की गहराई	1:6:12 में सीमेंट कन्करीट मोटाई	चिणाई की गहराई जो होनी चाहिए	चिणाई की गहराई जो रिकार्ड की गई
644/92 पृष्ठ 88 से 100 तक	बरामदा दीवार	2.6"	0.6"	2.0"	2.6"
	साईड दीवार	2.6"	0.6"	2.0"	2.6"
---"---	(सीवी रूम व बाथ) बरामदा दीवार	3.0"	0.6"	2.6"	3.0"
753/95 पृष्ठ 39 से 42 तक	कमरा (बरामदा) व रसोई के मध्य वाली दीवार	2.6"	0.6"	2.6"	2.6
---"---	सीवी रूम व बाथ	2.6"	0.6"	2.0"	2.6"
---"---	-यथो- साईड दीवार	2.6"	0.6"	2.0"	2.6
---"---	बाथ व लवलू री दीवार	2.6"	0.6"	2.0"	2.6"
---"---	लवलू सीवी(रूम) दीवार	2.6"	0.6"	2.0"	2.6"
---"---	-यथो- साईड दीवार	2.6"	0.6"	2.0"	2.6

....लगातार...

753/95 पृष्ठ 39 से 42 तक	सी बी दीवार कमरों के बीच	2'6"	0'6"	2'0"	2'6"
--"--	--पथौर दीवार	2'6"	0'6"	2'0"	2'6"

अत: यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है । उक्त वर्णित पैमाईश की पूर्ण जांच करने के उपरान्त इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

7. **कार्य का नाम:-** पी. एस. एच. आवासीय बस्ती बिंदरावन (पालमपुर) के अधीन 32 नम्बर श्रेणी-III मकानों का निर्माण कार्य प्लाटों का विकास एवं आन्तरिक जल आपूर्ति व सीवरेज सहित ।

अनुबन्ध संख्या: 11 वर्ष 1993-94

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या :डीडी/एची/डबल्यू-7/खण्ड-X/93, 1213-19 दिनांक 17.7.93 द्वारा संविदा कार श्री डी. डी. जैन को कुल राशि 38,50,016.31 रु० के लिए किया गया । इस कार्य के प्रथम चालू बिल से लेकर उन्नीसवें चालू बिल तक का विस्तृत अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई ।

एक (i) द्वितीय चालू बिल के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत प्रविष्ठियों का विवरण माप पुस्तिका संख्या 681/94 के पृष्ठ 26 से 31 तक दर्ज किया गया था । बिल की मद संख्या एक (परिशिष्ट "सी") अर्थात मिट्टी की कटान के कार्य की मात्रा 2798.90 घन मी. का 27/-रु० प्रति घन मी. (आंशिक दर) से किया गया था । इस मात्रा में इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ 26 की 1709.94 घन मी. मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी रिकार्ड प्रविष्ठियों की गणना के अंकेक्षण पर पाया गया कि आर. डी "0" स्तर पर काटे गए x सैक्शन (पृष्ठ 21) के अनुसार 16 मी. चौड़ाई में मिट्टी का कटान किया जाना था । जिस में से 6 मी. चौड़ाई में 1.80 1.40 मी. ऊंचाई तक, 6.50 मी. की चौड़ाई में 1.40 मी. तक तथा शेष 3.50 मी. चौड़ाई में 0.40 मी. मी. की ऊंचाई तक मिट्टी का कटान किया जाना था जिसका क्षेत्रफल 20.10 वर्ग मी. बनता था (6.00×1.60+6.50×1.40+3.50×0.40) परन्तु क्षेत्रफल की गणना करते समय 6.50 मी० की चौड़ाई को 12.50 मी. लिया गया जो कि 6.00 मी. अधिक थी इस त्रुटि के कारण x सैक्शन "0" पर कटान का कुल क्षेत्रफल 20.10 वर्ग मी. की अपेक्षा 28.50 वर्ग मी. लिया गया (6.00×1.60 + 12.50×1.40+ 3.50×0.40) । आगे x सैक्शन आर. डी. 4.50 मी. पर कटान का क्षेत्रफल माप पुस्तिका के अनुसार 20.45 वर्ग मी. परन्तु औसत क्षेत्रफल 24.47 वर्ग मी. (28.50+20.45 / 2) की अपेक्षा 20.27 वर्ग मी. (20.10+20.45 / 2) तथा आयतन 110.13 घन मी. (24.47×4.50) की अपेक्षा 91.21 घन मी० (20.27×4.50) ही बनता है । इस प्रकार ठेकेदार को 18.92 घन मी. (110.13-91.12)

...लगातार...

का 27/-रू0 प्रति घन मी. (आंशिक दर) से 510.84 रू0 की राशि का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की वसूली शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ii) बिल की मद संख्या 2 (परिशिष्ठ "सी") जो कटान की गई मिट्टी की ढुलाई से सम्बन्धित था, की कार्य मात्रा 1928.64 घन मी. का 5 रू0 प्रति घन मी. की दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जिसमें माप पुस्तिका संख्या 681/94 के पृष्ठ 26 की 834.68 घन मी. मात्रा भी सम्मिलित थी । परन्तु उक्त पैरा 7-क(i) में वर्णित त्रुटि के कारण यह मात्रा 815.76 (834.64- 18.92) घन मी. का 5रू0 प्रति घन मी. की दर से 94.60 रू0 का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली भी ठेकेदार से सुनिश्चित की जाए ।

वनती थी इस प्रकार ठेकेदार पर 18-92 घन मी०

(ख) चतुर्थ चालू बिल के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत प्रविष्ठियों का विवरण माप पुस्तिका संख्या 681/94 के पृष्ठ 80 से 88 तक दर्ज किया गया था ।

(i) बिल की मद संख्या 9/11 जो कि एस आर मैसनरी से सम्बन्धित थी, की कार्य मात्रा 489.51 घन मी. का भुगतान 660/-रू0 प्रति घन मी. की दर से किया गया था । इस मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 681/94 के पृष्ठ 70 की 99.78 घन मी. मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी रिकार्ड प्रविष्ठियों की गणना की जांच पर पाया गया कि मकान नम्बर 64 से 68 तक तथा 80 से 91 तक कुल 17 मकानों की 17 बरामदा दीवारों में किए गए एस आर मैसनरी के कार्य के माप की रिकार्ड प्रविष्टि दो बार दर्ज की गई थी अर्थात प्रथम रिकार्ड प्रविष्टि आरम्भ में पृष्ठ 66 पर जोकि अधिप्रमाणित थी, तथा दोबारा रिकार्ड प्रविष्टी के अन्त में पृष्ठ 70 पर जोकि अधिप्रमाणित नहीं थी तथा जिसकी मात्रा 5.77 (17x2.83x0.40x0.30) घन मी. थी। यह गम्भीर अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक छानबीन एवं दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के अतिरिक्त ठेकेदार को किए गए 5.77 घन मी0 के 660/-रू0 प्रति घन मी. की दर से राशि 3808.00 रू0 के दोहरे भुगतान की वसूली तुरन्त करने हेतु लाई जाती है ।

(ग) पांचवे चालू बिल के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत प्रविष्टियों का विवरण माप पुस्तिका संख्या: 703/94 के पृष्ठ 1 से 9 तक पर दर्ज किया गया था :

(i) बिल की मद संख्या 5/6 की मात्रा 7646.20 कि.ग्रा. का भुगतान 1.50 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ठेकेदार को किया गया था । इस मात्रा में माप पुस्तिका संख्या :681/94 के पृष्ठ 92 की मात्रा 1577.50 कि. ग्रा; भी शामिल थी । उक्त रिकार्ड प्रविष्टि की गणना की जांच पर पाया गया कि यह कार्य मकान नम्बर 64,65,66,87 व 88 = 5नं. के स्लैब भाग में किए गए स्टील वर्क से सम्बन्धित था तथा रिकार्ड

....लगातार....

संख्या: 22 (परिशिष्ठ "ए") व मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 13.31(ए) हेतु ठेकेदार के प्रीमीयम 130.21% अधिक के आधार पर 4.37 रू० निर्धारित किया गया था जबकि इस अतिरिक्त मद का दर निर्धारण अनुबंध की क्लाज 12(III) के अन्तर्गत टेंडर के परिशिष्ठ "ए" के ओवेर आल प्रीमीयम 88.36% अधिक को लगाकर 3.57 रू० प्रति (मूल दर 1.90 + 88.36 प्रीमीयम) मीटर ही बनता था । अत: इस प्रकार ठेकेदार को कुल मात्रा 822 मी. का 3.57 रू० की अपेक्षा 4.37 रू० प्रति मी. की दर से भुगतान करने पर राशि 657.60 रू० (822x(4.37- 3.57)) का अधिक भुगतान हुआ । इस राशि की वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए ।

(iii) बिल की मद संख्या 35(अतिरिक्त) व मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 14.38 की कार्य मात्रा 90 नम्बर का 32.80 रू० प्रत्येक की दर से भुगतान किया गया । इस अतिरिक्त मद के दर विश्लेषण की जांच पर पाया गया कि इसका दर निर्धारण अनुबंध की मद संख्या: 22 (परिशिष्ठ "ए") व मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 13.31(ए) हेतु ठेकेदार के प्रीमीयम 130.21% अधिक के आधार पर 32.80 रू० प्रत्येक निर्धारित किया गया था जबकि इस मद का दर निर्धारण अनुबंध की क्लाज 12(III) के अन्तर्गत टेंडर के परिशिष्ठ "ए" के ओवरआल प्रीमीयम 88.36% अधिक को लगाकर 26.85 रू० ही बनता था (मूल दर 14.25 रू० + 88.36% प्रीमीयम) अत: इस प्रकार ठेकेदार को कुल मात्रा 90 नम्बर का 26.85 रू० प्रत्येक की अपेक्षा 32.80 रू० प्रत्येक की दर से भुगतान करने पर राशि 536/- रू० (90x(32.80-26.85)) का अधिक भुगतान हुआ । इस राशि की वसूली शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ड.) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार उन्नीसवें चलत बिल तक 46477.90 रू० की अतिरिक्त एवं बदली हुई मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं दरों का अनुमोदन करवाए बगैर ही करवाया गया । अत: इस अनियमितता बारे कारणों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त प्रत्येक मद के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर विश्लेषण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाए :-

बिल की मद संख्या	मात्रा	दत्त दर (रू० में)	भुगतान की गई राशि (रू० में)
परिशिष्ठ "ए"			
20/20 (ii) (बदली हुई)	107.07 वर्ग मी.	195.00 रू० प्रति मी. (आंशिक दर)	20878.65

...लगातार...

31 (अतिरिक्त) 58.44 वर्ग मी. 150.00 प्रति मी.² 8766.00
32 (अतिरिक्त) 537.62 वर्गमी. 30.00 प्रति मी. 16128.60
33 (अतिरिक्त) 14.91 वर्ग मी. 47.22 प्रति मी. 704.05

46477.30

(च) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुबंध के अनुसार निष्पादित की जाने वाली मदों की मात्रा तथा वास्तव में उन्नीसवें चलत बिल तक निष्पादित किए गए कार्य की मात्रा में बहुत अन्तर था जिसमें से कुछ मुख्य मदों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं0	अनुबन्ध की मद संख्या	अनुमानित मात्रा	उन्नीसवें बिल तक निष्पादित मात्रा	विचलन मात्रा में	विचलन प्रतिशत में
1	2.	3.	4.	5.	6.
परिशिष्ठ "ए"					
1	6	29577.60 कि.ग्रा.	32751.95 कि.ग्रा.	3174.35 कि.ग्रा.	10.73%
2.	17(ए)	256 नम्बर	648 नम्बर	392 नम्बर	153.13%
3.	19	289.28 मी.²	1371.90 मी.²	1082.62 मी.²	374.25%
4.	28	1560.32 मी.²	1926.37 मी.²	366.05 मी.²	23.46%
5.	30	1445.18 मी.²	2769.30 मी.²	1324.12 मी.²	97.62%
परिशिष्ठ "सी"					
6.	2	2402.62 मी.³	3244.77 मी.³	842.15 मी.³	35.05%
परिशिष्ठ "डी"					
7.	17	64 मी.	264.70 मी.	200.70 मी.	313.59%
8.	18	64 मी.	234.68 मी.	170.68 मी.	266.69%
9.	19	32 नं0	60 नं0	28 नं0	87.50%
10.	23(1)	80 मी.	176.70 मी.	96.70 मी.	120.88%
11	24 (ii)	32 नं0	60 नं0	28 नं0	87.50%
	24 (i)	32 नं0	60 नं0	28 नं0	87.50%
12	25(ii)	224 नं0	336 नं0	112 नं0	50 %
13	27	536 मी.	715.94 मी.	179.94 मी.	33.57%

उपरोक्त अत्याधिक विचलन बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

8. वाउचर संख्या 29 माह 7/96 राशि 2601/-रु0

सामाजिक आवासीय बस्ती नरपुर के अधीन कांक्रीट पिल्लर/बुर्जियां उपलब्ध करवाने एवं लगाने सम्बन्धी निर्माण कार्य श्री ताराचन्द शर्मा संविदाकार को कार्य आदेश संख्या । वर्ष 94-95 द्वारा हिमाचलप्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 में अंकित मूल्य से 85% अधिक पर आबंटित किया गया था । कार्य आदेश के अनुसार इस कार्य के अन्तर्गत फाउंडेशन व ट्रैंचिज में खुदाई 1:3:6 व 1:6:12 के अनुपात में सीमेंट कन्करीटिंग, आर सीसी कार्य हेतु टोर स्टील उपलब्ध करवाना/लगाना तथा स्टील वर्क वेल्डिंग इन बिल्ट अप सैक्शन, ट्रसिज एवं फ्रेमड वर्क इत्यादि से संम्बन्धीत कार्य की 5 (पांच) मदें शामिल थी । परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 679/93 के पृष्ठ 82 व 83 पर प्रथम एवं अन्तिम चलत बिल की दर्ज रिकार्ड/लागत प्रविष्टियों के अवलोकन कार्यों की पांच मदों में केवल अन्तिम एक मद "स्टील वर्क वेल्डिंग इन बिल्ट अप सैक्शन" का ही कार्य करवाया गया दर्शाया गया था । जबकि यह कार्य प्रथम चार मदों को करवाए बगैर स्वतन्त्र रूप से निष्पादित करवाया जाना असम्भव था । इस प्रकार ठेकेदार को स्टील वर्क की कार्य प्रमात्रा 155.92 कि0ग्रा0 मा 1667.52 रु0 प्रति क्विंटल की दर (मूल 901.60 रु0 + 85% प्रीमीयम) से किया गया राशि 2601/-रु0 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है । अत: यह मामला सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में पूर्ण छानबीन हेतु लाया जाता है । इस सम्बन्ध में दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के अतिरिक्त अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की ब्याज सहित वसूली भी सुनिश्चित की जाए ।

9. वाउचर संख्या: 27 माह 7/96 राशि 14,887/- रु0

सामाजिक आवासीय बस्ती देहरा के अन्तर्गत 8 नम्बर एच.आर-ई.जी. II एवं 13 नम्बर एल.आई.जी. मकानों में सफेदी एवं रंग करने का कार्य श्री संजीव गुप्ता संविदाकार को अनुबन्ध संख्या: । वर्ष 96-97 द्वारा आबंटित किया गया था । इस कार्य के द्वितीय चलत बिल, जिसकी लागत विवरणी माप पुस्तिका संख्या:809/95 के पृष्ठ 53 से 56 तक दर्ज थी, का अवेक्षण करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई ।

(i) बिल की मद संख्या 2/3 की कार्य प्रमात्रा 945.78 वर्ग मी. का 20/- रु0 प्रति वर्ग मी. (आंशिक दर) (24/-रु0 प्रति वर्ग मी. अन्तिम दर) की दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया था । इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 809/95 के पृष्ठ 49 व 50 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्ठियों के अवेक्षण पर पाया गया कि लकड़ी के दरवाजों व खिड़कियों की फ्रेमों व पोकटों पर रंग (दो कोट) करने से सम्बन्धित कार्य के माप की गणना करते समय दरवाजों की कार्य मात्रा को 1.30 (एकल तरफ) के आधार पर दोनों तरफ के लिए 2.60 फैक्टर से व खिड़कियों की कार्य मात्रा को 0.80 (एकल तरफ) के आधार पर दोनों तरफ के लिए 1.60 फैक्टर से गुणा करके निकाला गया था जबकि वास्तव में अनुबंध की सामान्य स्पेसिफिकेशन और शर्तों के अनुसार लागू सी. पी. डब्ल्यू. डी. स्टैन्डर्ड स्पेसीफिकेशन 1977 के पाठ-12 की कालम 13.22.6% के अनुसार उक्त वर्णित

....लगातार.....

फ्रेटर (दोनो तरफ के लिए) दरवाजों के लिए 2.60 की अपेक्षा 2.25 (1.125 एक तरफ के आधार पर) तथा खिड़कियों के लिए 1.60 की अपेक्षा 1.00 (0.50 एकल तरफ के आधार पर) निर्धारित था । इस प्रकार गलत फ्रेटर लगाए जाने के कारण ठेकेदार को निम्न लिखित विवरणानुसार 185.47 वर्ग मी. का 20/-रु0 प्रति वर्ग मी. (आंशिक दर) की दर से राशि 3710/-रु0 का अधिक भुगतान किया गया ।

विवरण	दत्त मात्रा (वर्ग मी.)	देय मात्रा (वर्ग मी.)	अधिक दत्त मात्रा (वर्ग मी. में)
8 नम्बर एमआईजीमकान			
दरवाजे	104.14x2.60=270.76	104.14x2.25= 234.31	36.45
खिड़कियाँ	57.60x1.60=92.16	57.60x1.00= 57.60	34.56
13 नम्बर एम आईजी मकान			
दरवाजे	166.57x2.60=433.08	166.57x2.25= 374.78	58.30
खिड़कियाँ	93.61x1.60 =149.78	93.61x1.00= 93.61	56.17
		कुल	185.48

अत: अधिक भुगतान की राशि 3710/-रु0 की ठेकेदार से तुरन्त वसूली करने के अतिरिक्त अन्तिम दर 24/-रु0 प्रति वर्ग मी. पर भुगतान कार्य की सही प्रमात्रा पर किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

10. वाउचर संख्या: 181 दिनांक 31.3.97 राशि 14281.00 रु0

वर्क आर्डर संख्या 96 वर्ष 1996-97
माप पुस्तिका संख्या :871 पृष्ठ 4 व 5
कार्य का नाम : एडीशन एण्ड आल्टरेशन इन एम.आई.जी. काटेजिज 12 व 23 गेस्ट हाउस स्कूल शिक्षा बोर्ड

बिल संख्या: प्रथम व अन्तिम
संविदाकार का नाम : श्री कुलदीप मेहरा ।

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर से सम्बन्धित वर्क आर्डर संख्या 96 की मद संख्या 3/3 रुक्वायर रबल मैसनरी कोर्सेड विद हार्ड स्टोन के करवाए गए 11.93 घन मी. के कार्य हेतु 1100.00 रु0 प्रति घन मीटर की दर से 13123.00 रुप का भुगतान किया गया । परन्तु माप पुस्तिका संख्या 871 के पृष्ठ 3 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पाया गया कि काटेज नं0 12 के पीछे की गई पत्थर की 8' x 1'-3" की चिनाई की ऊंचाई 6 फुट दर्शाई गई थी जबकि यह ऊंचाई केवल 1 फुट ही थी । अत: सही गणना अनुसार माप 8' x 1'-3" x 1'=10 घन फुट ही बनता था जैसे कि माप पुस्तिका में भी पहले यही माप दर्शाया गया था इस माप को बाद में बदलकर 8' x 1'-3" x 6=60 घन फुट दर्शा दिया गया । इस प्रकार आवास बोर्ड के किसी कर्मचारी द्वारा सही माप को बढ़ाकर दर्शाए जाने से

....लगातार...

जाने के फलस्वरूप संविदाकार को 60-10=50 घन फुट अर्थात 1-41 घन मीटर हेतु 1100.00 रू0 प्रति घन मीटर की दर से कुल 1551.00 रू0 का अधिक भुगतान करके अनियमित रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था। यह गम्भीर अनियमितता आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त उक्त राशि को शीघ्र वसूली हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त 1.41 घन मीटर के झूठे माप हेतु 1.50 सिमेंट की अधिक दर्शाई गई खपत हेतु दो बोरियों सिमेंट की कीमत जारी दर से दुगुनी दर पर करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए।

11. वाऊचर संख्या 103 दिनांक 19.3.97 राशि 91627.00 रू0

कार्य का नाम :- सिंहपुर में एक नं0 टाईप-5 क्वार्टज से सम्बन्धित निर्माण कार्य सब हैड: डेवलपमेंट आफसाईट।

अनुबन्ध संख्या :- 30 वर्ष 1996-97

माप पुस्तिका संख्या : 877 पृष्ठ 1 से 7

संविदाकार का नाम :- श्री कमल किशोर शर्मा

बिल संख्या :- प्रथम चलतऊ बिल।

उपरोक्त वर्णित अनुबन्ध की मद संख्या एक अनुसार एक्सकावेशन इन अर्थ वर्क एण्ड डिस्पोजल आफ आल एक्सकावेटिड अर्थ के लिए गए 572.67 घन मीटर माप हेतु 25.00 रू0 की दर से 14316.75 रू0 का भुगतान किया गया तथा अनुबन्ध की मद संख्या 2 के अन्तर्गत इतनी ही खोदी गई मात्रा को चील गाड़ी से सिंहपुर तक मिट्टी की ढलवाई/भराई मकैनिकल ट्रांसपोर्ट द्वारा 8 कि.मी. की दूरी हेतु 135.00 रू0 प्रति घन मी. की दर से 77310.45 रू0 का भुगतान किया गया। प्रथम मद से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि यह रिकार्ड प्रविष्टियां खुदाई से सम्बन्धित प्रतीत नहीं होती अपितु जिस स्थान पर मिट्टी की भराई की जानी थी उसके डिपरैसड भाग का माप लेकर क्षेत्रफल निकाला गया था तथा तदानुसार ही इस क्षेत्रफल को मिट्टी की खुदाई मानकर भुगतान किया गया प्रतीत होता है क्योंकि यदि यह मान भी लिया जाए कि उपरोक्त वर्णित प्रथम मद में उक्त निर्माण स्थल पर 572.67 घन मीटर मिट्टी की खुदाई का ही कार्य करवाया गया तो अनुबन्ध की दूसरी मद के अन्तर्गत उसी स्थल पर 572.67 घन मी. मिट्टी चीलगाड़ी से सिंहपुर तक 8 किलो मीटर की दूरी से ढुलाई/भराई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि कार्य स्थल पर ही इतनी ही मात्रा में मिट्टी का उपयोग भराई हेतु किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त क्योंकि मिट्टी की भराई से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियां कार्य स्थल अर्थात सिंहपुर से सम्बन्धित थीं तथा उसी अनुसार मिट्टी की खुदाई से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों भी कार्य स्थल यानि सिंहपुर से सम्बन्धित थी। अतः निर्माण कार्य की उपरोक्त दोनों मदों में आपस में विरोधाभास प्रतीत होता है। दूसरे चीलगाड़ी से कार्य स्थल तक 8 कि.मी. की दूरी से मिट्टी की

.... लगातार...

ढुलाई बारे यह प्रमाणित नहीं किया गया कि कार्य स्थल या इसके समीप किसी भी x नजदीक स्थान पर मिट्टी उपलब्ध नहीं थी ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत किए गए भुगतान के औचित्य की जांच अंकेक्षण पर नहीं की जा सकी यह गम्भीर प्रकरण सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में आवश्यक जांच हेतु लाया जाता है । जांच के परिणामों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा यदि उक्त भुगतान उचित नहीं पाया जाता है तो इस अनियमितता बारे दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से भी शीघ्र इस विभाग को अवगत किया करवाया जाए ।

12. वाउचर संख्या 105 दिनांक, 19.3.97 राशि 1,94,012.00 रू0

कार्य का नाम :- सिद्धपुर में 6 नं0 क्वाटर्स का निर्माण

अनुबन्ध संख्या: 11 वर्ष 1995-96

बिल संख्या: 7 वां चलत बिल

माप पुस्तिका संख्या: 843 पृष्ठ 31 से 64

संविदाकार का नाम :- श्री रमेश चन्द ।

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर से सम्बन्धित अनुबन्ध की मद संख्या 34 प्रतिस्थापित एफलाईंग प्राईमरी कोट ओवर न्यु वुड के करवाए गए 957.55 वर्ग मीटर कार्य हेतु 12.85 रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से 12304.51 रू0 का भुगतान संविदाकार को किया गया । माप पुस्तिका संख्या 798 के पृष्ठ 79 से 82 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों की फ्रेमों तथा चौखटों पर प्राईमर करने से सम्बन्धित कार्य के माप की गणना करते समय दरवाजों की मात्रा को 1.30, खिड़कियों की मात्रा को 0.80 व वायरगेज शटर के लिए 1.30 फैक्टर से गुणा करके एरिया निकाला गया था जबकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लागू सी. पी. डब्ल्यू. डी. स्टैंडर्ड रेटस 1977 के पाठ 12 की कलाज 13.22.6.4 के अनुसार दरवाजों के लिए 1.125 खिड़कियों के लिए 0.50 व वायर गेज शटर के लिए भी 0.50 का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था । अत: गलत फैक्टर लगाए जाने के फलस्वरूप 210.47 वर्ग मी., जिसका ब्योरा निम्न वर्णित है, हेतु 12.85 रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 2704.53 रू0 का भुगतान अधिक हुआ है । अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

दरवाजों व खिड़कियों का विवरण	भुगतान हेतु ली गई मात्रा वर्ग फुट में	सही फैक्टर अनुसार भुगतान योग्य मात्रा वर्ग फुट में	अधिक दत्त मात्रा (वर्ग फुट में)
डब्बल व सींगल रिबेट दरवाजे डी8 से डी2	2290.26	1981.96	308.30
वायर गेज शटर डी1, डब्ल्यू1 व डब्ल्यू2	2262.00	870.00	1392.00

...लगातार.

गोजड शटर डब्ल्यू1 से डब्ल्यू2	873.60	546.00	327.60
कप बोर्ड शटर	1766.02	1528.29	237.73
			2265.63
			या 210.47 वर्ग मीटर

(ख) इसी प्रकार उक्त बिल की प्रतिस्थापित मद संख्या 49 (अतिरिक्त) पेंटिंग टू कोट एक्सक्लूडिंग प्राईमरी कोट के करवाए गए 638.26 वर्ग मीटर के कार्य हेतु 26.40 रू0 की दर से 16850.05 रू0 का भुगतान किया गया। माप पुस्तिका संख्या 798 पृष्ठ 82 व 83 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि माप की गणना करते समय दरवाजें, खिड़कियों की फ्रेम/चौखटों तथा वायर गेज शटर की मात्रा को क्रमश: 1-30, 0-80 व 1-30 फैक्टर से गुणा करके एरिया निकाला गया जबकि उपरोक्त पूर्व वर्णित पैरा के अनुसार उक्त दरवाजों के लिए 1.125, खिड़कियों के लिए 0.50 व वायर गेज शटर के लिए 0.50 का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। अत: गलत फैक्टर लगाए जाने के परिणामस्वरूप 295.51 वर्ग मीटर, जिसका ब्यौरा निम्न वर्णित है, हेतु 26.40 रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से 7801.46 रू0 का भुगतान अधिक किया गया है। इस राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/दोषी से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सही फैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

दरवाजों व खिड़कियों का विवरण	भुगतान हेतु ली गई मात्रा वर्ग फुट में	सही फैक्टर अनुसार भुगतान योग्य मात्रा वर्ग फुट में	अधिक दत्त मात्रा वर्ग फुट में
डब्बल व सींगल रीबेट दरवाजे डी 1 से डी2	2290.26	1981.96	308.30
वायरगेज शटर डी, डब्ल्यू1 व डब्ल्यू2	2262.00	870.00	1392.00
कप बोर्ड शटर	1766.02	1528.29	237.73
गोजड शटर डब्ल्यू1 से डब्ल्यू2	873.60	546.00	327.60
डब्बल रीबेट ~~खिड़कियां~~ दरवाजे	421.20	364.50	56.50
वायर गेज शटर (दरवाजे व खिड़कियां)	1131.00	435.00	696.00
गोजड शटर	436.80	273.00	163.00
			3181.13
			या 295.51 वर्ग मी.

इसी प्रकार बिल की मद संख्या 35 अतिरिक्त पेंटिंग टू कोट आन न्यू वुक वन ब्राउन शेड के करवाए गए 175.75 वर्ग मीटर के कार्य के लिए 26.15

...लगातार.

रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4595.86 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त मद से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि दरवाजों व वायर गेज शटरों में करवाए गए पैंट की मात्रा की गणना करने हेतु भी क्रमशः 1.30 व 1.30 फैक्टर लगा कर गणना की गई थी जबकि सही गणना क्रमशः 1-125 व 0.50 का फैक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी । अतः गलत फैक्टर लगाए जाने परिणाम स्वरूप 69.90 वर्ग मी. जिसका विवरण निम्न वर्णित किया जाता है, के अधिक लिए गए माप हेतु 26.15 रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से 1827.88 रू0 का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार /दोषी से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

विवरण	भुगतान हेतु ली गई मात्रा वर्ग फुट में	सही फैक्टर अनुसार भुगतान योग्य मात्रा वर्ग फुट में	अधिक दत्त मात्रा वर्ग फुट में
दरवाजे	421.20	364.50	56.50
वायरगेज शटर	1131.00	435.00	696.00
			752.50
			या 69.90 वर्ग मीटर

(घ) उपरोक्त वर्णित वाउचर से सम्बन्धित अनुबन्ध की मद संख्या 31/38 (ii) के अन्तर्गत स्टील वर्क बैल्डिंग इन बिल्ट अप सैक्सन इन ग्रेटिंग फ्रेम के करवाए गए कार्य 29-21.13 क्विंटल हेतु 2400.00 रू0 की दर से 70,107.12 रू0 का भुगतान किया गया था । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका सं0 797 के पृष्ठ 90 व 91 पर दर्ज निर्माण कार्य "इन ग्रेटिंग फ्रेम व ब्रैक्ट गार्ड" इत्यादि से सम्बन्धित 222.28 कि. ग्रा. स्टी का कार्य भी सम्मिलित था । परन्तु रिकार्ड प्रविष्टी में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं था कि उक्त प्रयोग में लाई गई 63.51 मी. स्टील को 3.50 कि. ग्रा. प्रति रनिंग मीटर की दर से भार में परिवर्तित किया गया । परन्तु स्टील का साईज तथा अन्य विवरण उपलब्ध न होने के कारण उक्त फैक्टर का सत्यापन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका । इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

(ङ) उपरोक्त वर्णित वाउचर से सम्बन्धित बिल की अतिरिक्त मद सं0 44 सप्लाईंग एण्ड फिक्सींग ग्लास पैन विद पुटी के 8.17 वर्ग मी. करवाए गए कार्य हेतु 250.00 रू0 प्रति वर्ग मी. (पार्टदर) की दर से 2042.50 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त मद हेतु 283.40 रू0 की दर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अनुमोदित की गई थी । इस दर निर्धारण की जांच करने पर पाया गया कि यह मद हिमाचल प्रदेश शड्यूल आफ रेट की मद संख्या 10.26 (i) की तथा अतिरिक्त मद होने के कारण इस मद का अनुबन्ध की मद संख्या 16 जोकि हि0प्र0 शड्यूल आफ रेटस 1987 की मद संख्या 12-5 (iii) की थी, के समान मान कर दर निर्धारण किया गया था । इस दर निर्धारण को किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त मदें भिन्न अध्याय से सम्बन्धित

.....लगातार...

थीं तथा आपस में मेल नहीं खाती थी । अत: उक्त मद का दर निर्धारण ओवर आल प्रीमियम अर्थात 140.55% पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जिसके आधार पर उक्त मद की दर 220.46 रु0 प्रति वर्ग मी० ही बनती है । अत: उक्त मद के करवाए गए 8.17 वर्ग मी. कार्य हेतु 220.40 रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से 1801.00 रु0 का भुगतान किया जाना वांछित था जबकि 250.00 प्रत वर्गमी. के आधार 2042.50 रु0 का भुगतान कर दिया गया । मु0 241.50 रु0 के अधिक हुए भुगतान की वसूली की जाए तथा भविष्य में आगामी भुगतान भी 220.40 रु0 प्रति वर्ग मी. के आधार पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

एच.पी.एस.आर. 1987 की मद सं0 18.26 ﴾i﴿ के अनुसार मूल दर	91.65 रु0
ओवर आल प्रीमियम 140.50% के आधार पर मूल्य जो बनता है ।	220.40 रु0 प्रति घन मी.

﴾च﴿ उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा प्रतिस्थापित मद संख्या 41 डिस्टैम्परिंग टू कोट के करवाए गए 1315.02 वर्ग मी. के कार्य हेतु 12.30 रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से 16174.75 रु0 का भुगतान किया गया उक्त प्रतिस्थापित मद के दर निर्धारित सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 48 व्हाईट वाशिंग को आधार मानकर ही दर निर्धारित की गई जबकि अनुबन्ध की मद संख्या 47 कलर वाशिंग भी समान मद ही थी । अत: उक्त मद का दर निर्धारण अनुबन्ध की मद संख्या 48 के आधार पर करने की बजाए अनुबन्ध की मद संख्या 47 व 48 की दरों के औसत आधार पर किया जाना अपेक्षित था । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके, यदि कोई हो, अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

13 स्कूल शिक्षा बोर्ड की सिद्धपुर में निर्माणाधीन कलोनी में एक अदद टाईप-5 फ्लैट के एम.ए.एस. रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित सामान या तो उक्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु अन्य निर्माण कार्यों से प्राप्त किया गया था अथवा उक्त निर्माण कार्य से अन्य निर्माण कार्यों को जारी किया गया था । परन्तु ऐसे सामान की कीमत का आवास बोर्ड के लेखाओं में अभी तक समायोजन नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप उक्त निर्माण कार्य पर हुए कुल व्यय के सम्बन्ध में आवास बोर्ड के लेखे सही स्थिति को नहीं दर्शाते हैं । इस अनियमितता बारे स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान की कीमत को लेखाओं में समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए :-

एम.ए.एस. रजिस्टर पृष्ठ संख्या:	सामान जारी करने की तिथि ।	इन्डैंट संख्या	जारी किए सामान का विवरण	टिप्पणी
42.	3/97	नहीं लिया था ।	जी.आई.पाईप 91.10 मी. जी.आई. निप्पल 28 अदद ---"--- रिड्यूसर 1 अदद सी.पी.कुनैक्शन 11 अदद	यह सामान श्री वी.के. कायस्था कनिष्ठ अभियन्ता को

.....लगातार...

....लगातार....

			सी. पी. सकरयू 1 अदद सी. पी. फिकर कॉक 6 अदद वॉकिंग मीटर 4 अदद ब्रास फूश है 8 अदद वाटर स्टोरेज टैंक 2 अदद -500 लीटर सीट कवर 3 अदद सी. पी. आई. पाईप-45 100 एम. एम. एस. सी. आई. पाईप-13 75 एम. एम. एस. सी. आई.-3 डोर टी.	दिया गया दर्शाया था परन्तु कोई इन्डैन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया।
44	11/96	9226	यनियन्न - 12 अदद एलबो 100 अदद टी 1/2" 40 अदद स्टाप कॉक 6 अदद निप्पल 6" 20 अदद निप्पल 4" 38 अदद निप्पल 2" 32 अदद हुक्स 4 किलो फ्लोर टरैप 11 अदद बेन्ड 5 अदद कलेम्प 75 एम. एम. 2 अदद पोन बैन्ड 10 अदद कलेम्प 100 एम. एम. 7 अदद कवर 3 अदद	यह सामान कनिष्ठ अभि-यन्ता, चीलगा-ड़ी से प्राप्त किया गया था। इन्डैन्ट भी अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
45.	2/97	9231	फ्लैट सिस्टरन 4 अदद 11 वाश बेसन 3 अदद टावल रेल अदद सोप डिश 4 अदद स्करिंग 1 अदद वेस्ट पाईप 3 अदद 32एमएम वेस्ट पाईप 8अदद 40एमएम बॉल कॉक 2 अदद सफेदा 4 किलो सॉकेट 10 अदद शावर 3 अदद बिब कॉक 15 अदद एंगल वाल्व 14 अदद सी. पी. ग्रेटिंग 11 अदद ब्रास वेस्ट 3 अदद	यह सामान श्री बी. के. काय-स्था, कनिष्ठ अभियन्ता, ची-लगाड़ी से प्राप्त किया गया था। इन्डैन्ट भी अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
45	ZXZ 2/97	9234	ब्रास वेस्ट 1 अदद	यह सामान

			सिस्टरन 1 अदद फ्लश पाईप 1 अदद एल. एस. सिस्टरन 3 अदद वाश बेसिन 3 अदद डब्ल्यू सी. 1 अदद फुट रैस्ट 1 अदद डब्ल्यू सी 1 अदद सिन्क 1 अदद स्टील पैन 1 अदद	श्री वी. के. कायस्था, कनिष्ठ अभियन्ता को प्राप्त किया दर्शाया गया था । इन्डैन्ट अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
46.	3/97	नहीं लिखा था।	बैन्ड 100 एमएम 3 अदद बैन्ड 75 एमएम 5 अदद कॉलर 100 एमएम 6 अदद कॉलर 75 एमएम 7 अदद एच. आर. बैन्ड 10 अदद गली ट्रैप 4 अदद कॉल 2 अदद स्पन यारन 3.50 किलो पिग लैड 53 कि0	यह सामान श्री वी. के. कायस्था, कनिष्ठ अभियन्ता को दिया गया दर्शाया था ।

14. सिद्धपुर में स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिहायशी मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्माण कार्य सड़क एवं रिटेनिंग वाल के एम. एस. एस0 रजिस्टर पृष्ठ सं0 26 में अवलोकन पर पाया गया कि मास 12/96 में इन्डैन्ट संख्या 9229 द्वारा 11.84 घन मीटर कट स्टोन, जिनकी कुल कीमत 2534.00 रु0 थी । इस निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु प्राप्त किए गए । परन्तु मास 12/96 के अन्त में प्राप्त किए गए कुल पत्थरों का जोड़ लगाते समय उक्त प्राप्त किए गए 11.84 घन मी. पत्थर गणना में नहीं लिए गए । इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 4.3.97 को किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के समय भी यह पत्थर स्टॉक में मौजूद नहीं पाए गए थे । इस प्रकार उक्त प्राप्त किए गए 11.84 घन मी. पत्थरों को गणना में न लेकर तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के समय भी स्टॉक में उपलब्ध न होने के कारण इनकी प्राप्ति हेतु व्यय की गई कुल 2534.00 रु0 की राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है । इस गम्भीर अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही के अतिरिक्त 2534/-रु की राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15. लाहड़ा सिवरेज सिस्टम के. एन. पी. पधरोला के एम. ए. एस. रजिस्टर पृष्ठ संख्या 4 के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 25.1.97 को 2.10 घन मी. 40 एम. एम. साईज की बजरी शेष थी । यह शेष पड़ी बजरी न तो आगामी मास 2/97 में उठाई गई और न ही किसी निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु जारी की गई । इसके अतिरिक्त दिनांक 17.3.97 को किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के समय भी यह बजरी स्टॉक में मौजूद नहीं पाई गई । इस प्रकार इस बजरी को गणना में न लेकर इसका दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है । अतः इस रोड़ी की 345/-रु0 प्रति घन मीटर की दर से

....लगातार ..

कुल कीमत 752/-रु0 की दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

16. सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिमेन्ट की खरीद हि0प्र0 सिविल सप्लाई कारपोरेशन, शिमला के माध्यम से सीधे सिमेंट फैक्टरी, बरमाणा से करने की बजाए सिविल सप्लाई कारपोरेशन के स्थानीय डिपुओं से करने के कारण आवास बोर्ड को वर्ष 1996-97 के दौरान कुल 64,640/-रु0 की हानि :-

वर्ष 1996-97 के लेखाओं की जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला द्वारा सिमेन्ट की खरीद करते समय सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिमेन्ट की खरीद हि0प्र0 सिविल सप्लाई कारपोरेशन, शिमला के माध्यम से सीधे सिमेन्ट फैक्टरी, बरमाणा से करने के बजाए निम्नलिखित विवरणानुसार सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से भी की जाती रही है । अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से क्रय किया गया सिमेन्ट सीधे सिमेन्ट फैक्टरी, बरमाणा से क्रय किये गए सिमेन्ट से औसतन मंहगा पड़ता था ।

अंकेक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि मण्डल में निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक/अपेक्षित आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए समय-2 पर सिमेन्ट की खरीद सीधे बरमाणा फैक्टरी से करने के बजाए कुछ मामलों में जब सिमेन्ट की वास्तविक तौर पर आवश्यकता नहीं थी तब भी सिमेन्ट को स्थानीय डिपुओं से खरीद करके सिमेन्ट को कई महीनों तक भण्डार में रखा गया । अतः सिमेन्ट की सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिविल सप्लाई कारपोरेशन के स्थानीय डिपुओं से क्रय करके न केवल आवास बोर्ड को भारी हानि हो रही है अपितु इस गलत क्रय निति के कारण निर्माणाधीन भवनों की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय तौर पर छानबीन की जाए तथा अधिक किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशियों की दोषियों से शीघ्र वसूली की जाए तथा भविष्य में सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अनुपालना सुनिश्चित की जाए

सिविल सप्लाई के स्थानीय डिपुओं से क्रय किए गए सिमेन्ट का विवरण निम्न प्रकार दिया जाता है :-

क्र0 सं0	जी.आर संख्या व दिनांक		खरीदे गये सिमेन्ट की मात्रा	दर प्रति बोरी रु0	बरमाणा फैक्टरी से सीधे क्रय किए गए सिमेन्ट की प्रति बोरी दर रु0	कुल अधिक भुगतान रु0
1.	2472	18.7.96	200 बोरी	156.00	132.00	4800.00
2.	2475	28.7.96	200 बोरी	156.00	132.00	4800.00
3.	2477	7.9.96	200 बोरी	156.00	132.00	4800.00
4.	2481	23.10.96	200 बोरी	156.00	132.00	4800.00

...लगातार....

5.	2484	8.11.96	100 बोरी	150.00	132.00	1800.00
6.	2485	7.12.96	300 बोरी	156.00	132.00	7200.00
7.	2486	13.12.96	100 बोरी	156.00	132.00	2400.00
8.	2490	27.1.97	200 बोरी	156.00	141.00	3000.00
9.	2491	28.1.97	200 बोरी	153.00	141.00	2400.00
10.	2496	11.3.97	180 बोरी	153.00	141.00	2160.00
			20 बोरी	153.00	141.00	240.00
11.	2497	18.3.97	200 बोरी	155.00	141.00	2800.00
12.	2498	19.3.97	20 बोरी	145.00	141.00	80.00
13.	2551	31.3.97	400 बोरी	147.65	141.00	2660.00
	उप मण्डल पालमपुर					
14.	2420	30.4.96	180 बोरी	153.00	130.00	4140.00
15.	2424	28.5.96	180 बोरी	153.00	130.00	4140.00
16.	2502	28.6.96	180 बोरी	153.00	130.00	4140.00
17.	2517	7.11.96	360 बोरी	153.00	130.00	8280.00

कुल अधिक भुगतान 64640.00

17. निम्नलिखित एम०ए०एस० रजिस्टरों की छानबीन करने पर पाया गया कि
निम्नलिखित सामान विभिन्न निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु जारी किया गया
था परन्तु इस सामान की खपत का कोई भी विवरण जैसे कि माप पुस्तिका,
पृष्ठ संख्या और मस्ट्रोल नं० इत्यादि का कोई भी विवरण एम.ए.एस. रजिस्टरों
पर नहीं दिया गया था तथा न ही इस सामान की खपत का सत्यापन किसी
भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया था । उपरोक्त अभिलेख के अभाव में
इस सामान की खपत का सत्यापन अंकेक्षण पर नहीं किया जा सका । अत: उप-
रोक्त अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये अन्यथा
था बिना किसी विवरण के ही जारी किये गये विभिन्न सामान की कीमत
दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर
दिखाई जाये ।

कार्य का नाम	एम०ए०एस० पृ० सं०	जारी किए गए सामान का विवरण			ग्रा.
स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, एम.आई.जी. कॉलेज की मुरम्मत	डी.डी.एच.पी. 13/93 64	जी.आई.शाकिट	13 एमपीयर	10 अदद	द
		सी.पी. बास शावर	15 एमएम	3 अदद	द
		सी.पी. पिष कॉक कप्लास हैड	15 एमएम		द
		सी.पी. हैंगर		15 अदद	द
				14 अदद	द
		सी.पी. हैंगर	100 एमएम	11 अदद	
		सी.पी. ग्रास वेस्ट	32 एमएम	3 अदद	
		—"—	40 एमएम	1 अदद	
		सी.पी. सोप डिश		4 अदद	
		सी.पी. राकल रैल		3 अदद	
		पी.वी.सी. वेस्ट पाईप	32 एमएम	3 अदद	

..लगातार.

भण्डार संख्या का दिनांक 17.3.97 राशि 10586.00 रु0

		पी. वी. सी. वेस्ट पाईप 40 एम.एम	1 अदद
		ब्रास बल्व कॉक 15 एम.एम	2 अदद
		एम. एस क्लैम्प 100 एम.एम	7 अदद
		हाई लैवल सिस्टर्न	1 अदद
		फ्लैश पाईप 32 एम.एम	1 अदद
		स्टील चैन	1 अदद
	67	विट्रस चैन लो लैवल सिस्टर्न	3 अदद
		विट्रस वाईनाईट वाश बेसिन 550×400	3 अदद
		इन्डियन XXX टाईप डब्ल्यू.सी. 580 एम.एम	1 अदद
		एम. एस ब्रैकेट 400 एम.एम	3 अदद
		—"— 300 एम.एम	4 अदद
		पैग्स फुट रेस्ट	1 अदद
		—"— 250×130×30	1 जोड़ी
		एंग्लो इन्डियन XX टाईप डब्ल्यू सी	2 अदद
	68	क्लैम्पस 3"	2 अदद
		जी. टी. कवर	3 अदद
सामाजिक आवास डी. डी. एच. बस्ती, धर्मशाला	वी. 14/93 पृ0सं0 10	सिविंग ट	1 अदद
		सिस्टिट नाईट 10'	
		सलाईडिंग क्लपूट 8×12'	1 अदद
		सी. सा. फोर सीरिट	1 अदद
		आल सिरील बैन्डस 6'×18"×10'	1 अदद
मुरम्मत एवं अनुरक्षण बिल्डिंग धर्मशाला	21	यूनियन 40 एम.एम	4 अदद
		एम. सील	1 अदद
		नट बोल्ट	8 अदद
		कोजर	2.25
अतिथि गृह धर्मशाला	41	ऐंगल बल्व	5 अदद
		वेस्ट पाईप	6 अदद
		फिनिकोल	1 कि. ग्रा.
फ्लांटस	51	हार सिंगार	40 अदद
		सिलवर ओक	30 अदद
		बौटल ब्रश	20 अदद
		बोगनवेलिया	10 अदद
		क्राफ्ट सेल थिन्गु	55 अदद

18. निर्माण कार्य बाह्य सिवरेज प्रणाली एस. एच. एस. XXXXX किन्दरावन के एम. एएस रजिस्टर संख्या डीडीएचबी 1/93 पृ0 संख्या 15 की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 8.10.96 को उपरोक्त निर्माण कार्य पर उपयोग उपरान्त 8000 ईन्टें शेष बची थीं जिसमें से 5800 ईन्टें मास 10/96 में उपरोक्त निर्माण कार्य पर उपयोग की गई दर्शाई गई। तदोपरान्त स्टाक में

....लगातार....

2200 ईन्टें शेष बचनी अपेक्षित थीं जबकि एम.ए.एस अनुसार यह शेष केवल 1200 ईन्टें ही दर्शाया गया था । अतः 1000 ईन्टे गणना में कम लेकर इनका दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है अतः इस बारे पूर्ण छानबीन की जाए तथा दोषी के विरूद्ध उचित कार्यवाही के अतिरिक्त 1000 ईन्टों की कीमत की दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

19. राशि मु0 2441.00 रू0 की राशि के 20 एम.एम. ऐग्रीगेट क्रशड ग्रिट मात्रा 4.94 घन मी. को गणना में न लेकर इसका दुर्विनियोजन करना ।

सम्बन्धित निर्माण कार्य के एम.ए.एस. संख्या 13/93 पृ.सं. 7 की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार श्री विजय कुमार महाजन से 4.94 घन मी. 20 एम.एम.क्रशड ग्रिट क्रय किया गया था तथा संविदाकार को 4.94 घन मी. ग्रिट का दर 475/-रू0 प्रति घन मी. (आयकर तथा बिक्री कर अलग से) की दर से राशि मु0 2441.00 रू0 का भुगतान निर्माण कार्य माप पुस्तिका संख्या 753/95 पृ.सं. 99 द्वारा किया हुआ पाया गया तथा 4.94घन मीटर ग्रिट को एम.ए.एस. पृ.सं. 7 पर गणना में लिया गया लेकिन जांच पर पाया गया कि अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो 4.94 घन मी. ग्रिट का किसी निर्माण कार्य पर उपयोग किया गया और न ही इस ग्रिट को अन्त शेष निकालते समय गणना में लिया गया तथा पूर्व में क्रय किया गया केवल 1.57 घन मी. ग्रिट ही शेष पड़ा दर्शाया गया था । इस प्रकार 4.94 घन मी. ग्रिट को क्रय करके गणना में न लेकर इस मात्रा का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है । अतः इस अनियमितता के लिए दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त ग्रिट के क्रय पर व्यय की गई राशि मु0 2441 रू0 की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

20. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उप-मण्डल पालमपुर के स्टाक लेखे वर्ष 1996-97 की जांच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित सामान इन्डैन्ट संख्या 8988 दिनांक 14.10.96 द्वारा आवास बोर्ड, पपरोला सैक्शन को, निर्माण कार्य जे.एन.वी. में बाह्य पानी की आपूर्ति हेतु जारी किया गया । परन्तु उक्त कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि यह सामान सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर पर दर्ज नहीं किया गया था । यह गम्भीर अनियमितता आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है । स्टाक में से जारी किए गए निम्नलिखित सामान के उपयोग के सम्बन्ध में तथ्यों की जांच के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख को सत्यापित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए अन्यथा सामान के क्रय पर व्यय की गई राशि की दोषी से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए ।

क्र0 सं0	सामान का विवरण	सामान की मात्रा	दर	राशि रू0 में
1.	जी.आई. पाईप 80 एमएम डाया	91.95 रनिंग मी.	86.00	7907.70
2.	जी.एम. गेट वाल्व 50 एमएम डाया	1 अदद	150.00	150.00
3.	---यथोपरि--- 40 एमएम डाया	2 अदद	120.00	240.00
4.	जी.आई. पाईप 40x40x40 एमएम डाया	1 अदद	25.00	25.00
5.	जी.आई. पाईप 100 एमएम डाया	117 रनिंग मी.	48.00	5616.00
	..लगातार..			13,938.70

21. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उप मण्डल पालमपुर के स्टाक लेखे वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित बिन कार्ड संख्या 167 के अवलोकन पर पाया गया कि इन्डैंट नं0 8888 दिनांक 3.9.96 द्वारा 390 रनिंग मीटर आर.सी.सी. पाईप डाया 150 एम.एम. निर्माण कार्य हेतु ईशु रेट 173/-रु0 प्रति रनिंग मी. के हिसाब से जारी की हुई दर्शाई गई जिसकी कुल कीमत 67,470.00 रु0 बनती थी । परन्तु इन्डैण्ट संख्या 8888 दिनांक 3.9.96 को अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त अभिलेख के अभाव में बिन कार्ड से जारी की गई आर.सी.सी. पाईप के उपयोग एवं आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख की जांच अंकेक्षण पर नहीं की जा सकी । उक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से जारी दर्शाई गई पाईप की कीमत की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए ।

22. धर्मशाला उपमण्डल के वर्ष 1996-97 के स्टाक लेखे की जांच के दौरान पाया गया कि जी.आर.संख्या 2499 दिनांक 25.3.97 द्वारा 600 रनिंग मीटर जी.आई. पाईप, 25 एम.एम. डाया आवास बोर्ड उपमण्डल धर्मशाला द्वारा दिनांक 25.3.97 को प्राप्त की गई जिसकी कुल कीमत दर 61.60 रू0 प्रति रनिंग मी. के हिसाब से राशि मु0 36,960.00 रु0 बनती थी । उक्त जी.आर.द्वारा प्राप्त की गई पाईप नियमानुसार बिन कार्ड में दर्ज की जानी अपेक्षित थी परन्तु यह पाईप सीधे ही एम.ए.एस. रजिस्टर पर दर्ज कर दी गई थी । यह एक गम्भीर अनियमितता थी क्योंकि इस पाईप को बिन कार्ड पर दर्ज न करके, स्टाक में प्राप्त किया दर्शाया नहीं गया और जिस निर्माण कार्य के एम.ए.एस रजिस्टर में इस पाईप को दर्ज किया गया था उस निर्माण कार्य पर उक्त पाईप की कीमत को भी डेबिट नहीं किया गया । इसके साथ ही आवास बोर्ड के वर्ष 1996-97 के लेखाओं में उक्त पाईप को न दर्शाए जाने के फलस्वरूप आवास बोर्ड के वर्ष 1996-97 के लाभ-हानि खातों की सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती । यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

23. वाऊचर संख्या 209 माह 3/97 राशि 1,71,333.00 रुपये

खिलाड़ी (धर्मशाला) में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 12 नम्बर टाईप-II ग्रुप-II के निर्माण कार्य का ठेका श्री मुकेश कुमार महाजन संविदाकार को अनुबंध संख्या 10 वर्ष 1995-96 के के अधीन अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी./डबल्यु-7/94,-237-43 दिनांक 24.4.95 द्वारा राशि 22,07,741.96 रू0 के लिए दिया गया था ।

उक्त कार्य से संम्बन्धित पांचवें चलत बिल जिसकी लागत प्रविष्ठियां माप पुस्तिका संख्या 806/95 के पृष्ठ 65 से 86 तक दर्ज थी, की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गईं :-

(1) बिल की मद संख्या 8 की कार्य प्रमात्रा 24.70 घन मी. का भुगतान 1350/-रु0 प्रति घन मी. की दर से किया गया था । इस कार्य प्रमात्रा की माप पुस्तिका संख्या 805/95 पृष्ठ 8 व 9 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्ठि की गणना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कालमों के टैपर्ड भाग में लिए गए

.....लगातार....

वाउचर संख्या 70 दिनांक 17.3.97 राशि 10588.00 रु०

1:2:4 के अनुपात में सीमेंट कन्करीट के निर्माण कार्य माप की गणना हेतु निर्धारित सूत्र ऊंचाई/3(ए1+ए2+√ए1+ए2) का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था जिसके कारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य प्रमात्रा 2.43 घन मी. का 1350/-रु0 प्रति घन मी. की दर से राशि 3280.50 रु0 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

कालम	बाटम (एरिया) वर्ग मी.	टाप (एरिया) वर्ग मी.	ऊंचाई (मी.)	देय मात्रा (घन मी.)	दत्त मात्रा (घन मी.)	अधिक दत्त मात्रा (घन मी.)
ए1 व ए6=2	2.40	0.16	0.25	0.52	0.64	0.12
ए2 व ए5=2	3.42	0.16	0.40	1.15	1.43	0.28
ए3 व ए4=2	3.06	0.16	0.40	1.04	1.28	0.24
बी1 व बी6=2	3.80	0.16	0.45	1.42	1.78	0.36
बी2 व बी5=2	4.41	0.16	0.50	1.80	2.28	0.48
बी3 व बी4=2	4.02	0.16	0.50	1.66	2.01	0.35
सी1 व सी6=2	2.56	0.16	0.30	0.66	0.80	0.14
सी2 व सी5=2	342	0.16	0.40	1.14	1.43	0.29
सी3 व सी4=2	2.89	0.16	0.30	0.74	0.91	0.17
					कुल अधिक दत्त मात्रा =	2.43

इस प्रकार ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि 3280.50 रु0 ठेकेदार से अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करने के साथ-2 उक्त अनियमितता के कारण कार्य में अधिक उपयोग किए गए सीमेंट की 15.55 बोरियों (2.43 घन मी. × 6.40 बैग प्रति घन मी.) की गणना भी कार्य के एम.ए.एस रजिस्टर में करनी सुनिश्चित की जाए।

(2) बिल की मद संख्या 3(डी) की कार्य प्रमात्रा 344.75 वर्ग मी. का भुगतान 90रु0 प्रति वर्ग मी. से किया गया था। इसमात्रा में माप पुस्तिका संख्या 805/95 के पृष्ठ 61 की 45.69 वर्ग मी. प्रमात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी रिकार्ड प्रविष्टि के अंकेक्षण पर पाया गया कि यह तीन फ्लोर की खिड़कियों के लिन्टल भाग में किए गए फॉर्म कार्य से सम्बन्धित थी। परन्तु इस मात्रा में से खिड़कियों के बाहरी भाग के हिस्से की deduction करते समय तीन फ्लोरों की अपेक्षा केवल दो फ्लोरों की ही मात्रा काटी गई। इस त्रुटि के परिणाम स्वरूप यह कार्य प्रमाणा वास्तव में 45.69 वर्ग मी. की अपेक्षा केवल 43.57 वर्ग मी. ही बनती थी। इस प्रकार ठेकेदार को मात्रा 2.12 वर्ग मी. का 90/-रु0 प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 190.80 रु0 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. वाउचर संख्या 14 माह 7/96 राशि 49520.00 रुपये

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 6 नम्बर

....लगातार....

वाउचर संख्या 70 दिनांक 17.3.97 राशि 10588.00 रू०

टाईप-I क्वार्टर्ज के निर्माण कार्य का ठेका श्री डी. डी. जैन, संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 95-96 के अधीन अवार्ड पत्र संख्या डी. डी. /एच.बी. / डब्ल्यू-7/94, 2518-24 दिनांक 28.7.95 द्वारा राशि 9,75,686.94 रू० के लिए दिया गया था ।

उक्त कार्य से सम्बन्धित द्वितीय चालू बिल, जिसकी लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 799/95 के पृष्ठ 32 से 42 तक पर दर्ज थी , का अंकेक्षण करने पर निम्न लिखित आपत्तियां पाई गई :-

§1§ बिल की मद संख्या 3/3§डी§ की कार्य प्रमात्रा 128.57 वर्ग मी. का भुगतान 90 रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से ठेकेदार को किया गया था। इस कार्य प्रमात्रा में माप पुस्तिका संख्या 799/95 के पृष्ठ 23 की मात्रा 10.69 वर्ग मी. भी शामिल थी जिसकी रिकार्ड प्रविष्टि की गणना की जांच पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण यह मात्रा केवल 9.88 वर्ग मी. ही बनती थी । इस प्रकार ठेकेदार को मात्रा 0.81 वर्ग मी. का 90 रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से राशि 72.90 रू0 का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की तुरन्त वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए ।

§2§ बिल की मद संख्या 4/7§बी§ की कार्य प्रमात्रा 22.623 घन मी. का भुगतान 1600/-रू0 प्रति घन मी. कीदर से ठेकेदार को किया गया था । इस प्रकार मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 799/9 के पृष्ठ 31 की 13.270 घन मी. प्रमात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी रिकार्ड प्रविष्टि की गणना की जांच पर पाया गया कि यह कार्य स्लैब व बीम में 1:2:4 के अनुपात में सीमेंट कन्करीटिंग से सम्बन्धित था तथा इसमें स्लैब के मिड लैंडिग भाग की 8.02 घन मी. मात्रा भी शामिल थी, जोकि इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 799/95 के पृष्ठ 28 पर किए गए फॉर्म वर्क के आधार पर केवल 6.58 घन मी. §1x6.6" x3 1/2" x04" § ही बनती थी । इस प्रकार ठेकेदार को मात्रा 1.44 घन मी. का 1600/-रू0 प्रति घन मी. की दर से राशि 2304/-रू0 का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

25. वाउचर संख्या 48 दिनांक 6.3.97 राशि 38410.00 रुपये

§अनुबन्ध संख्या 15 वर्ष 96-97, माप पुस्तिका संख्या 868/97 पृष्ठ 1 से 11§ एस.एफ.एस. कथारा के अधीन निर्माण कार्य रोड/रिटेनिंग दीवार चतुर्थ चालू बिल, जिसकी लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या: 868/97 के पृष्ठ 1 से 11 तक दर्ज थी, से सम्बन्धित उक्त वाउचर के साथ संलग्न सामान उपभोग विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि चतुर्थ चालू बिल तक निष्पादित कार्य में 484 36 बोरीयों ही बनती थी क्योंकि सामान उपभोग विवरणी में माप पुस्तिका संख्या 843/96 पृष्ठ 25 से सी.सी. बांड स्टोन 1:3:6 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 10.838 घन मी. ली गई थी । जबकि वास्तव में यह मात्रा केवल 4.61 घन मी. ही थी । इस प्रकार

....लगातार....

27.40 [10.838 — 4.61]x4.40 बैग] बोरी सीमेंट की अधिक खपत दर्शाई गई थी । उक्त सिमेन्ट की कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर में तुरन्त गणना की जाए अन्यथा 27.40 बोरी सिमेन्ट की दोषी कर्मचारी से पैनल दर पर वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए ।

26. वाउचर संख्या 62 माह 3/97 राशि 19827/-रु0

सामाजिक आवासीय बस्ती कांगड़ा के अन्तर्गत एच.आई.जी. मकानों की रिटेनिंग दीवारें लगवाने हेतु वांछित निम्न वर्णित सामान की आपूर्ति करने का कार्य श्री सुदेश कुमार ठेकेदार को कार्य आदेश संख्या 80 वर्ष 1996-97 द्वारा मु0 19775/-रु0 के लिए आवंटित किया गया था । इस कार्य के प्रथम एवं अन्तिम चालू बिल की माप पुस्तिका संख्या 870/97 के पृष्ठ 1 से 5 पर दर्ज रिकार्ड एवं लागत प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि रेत की मद को छोड़कर अन्य सभी मदों की आपूर्ति निम्न विवरणानुसार अनुमानित मात्रा से अधिक की गई थी जबकि रेत की आपूर्ति अनुमानित मात्रा से कम की गई थी ।

बिल की मद संख्या एवं विवरण	अनुमानित आपूर्ति मात्रा एवं राशि	वास्तविक आपूर्ति मात्रा एवं राशि	अन्तर [+/- में]	
			मात्रा	राशि रु0 में
1/1 बरोकन चिप्स 40 एमएम	6.00 घन मी [1950.00 रु0]	6.33 घन मी. [2057.25 रु0]	[+] 0.33 घन मी.	[+] 107.25
2/2 कट स्टोन	15.00 घन मी. [7500.00रू.]	16.34 घन मी. [8270.00 रु0]	[+] 1.34 घन मी.	[+] 770.00
3/3 साधारण स्टोन	19.00 घन मी. [4750 रु0]	22.80 घन मी. [5700 रु0]	[+] 3.80 घन मी.	[+] 950.00
4/4 रेत	12.00 घन. मी. [2700 रु0]	3.60 घन मी. [810 रु0]	[-] 8.40 घन मी.	[-] 1890.00
5/5 बॉड स्टोन	500 नम्बर [2875 रु0]	520 नम्बर [2990 रु0]	[+] 20 नम्बर	[+] 125.00

इसके अतिरिक्त बॉड स्टोन की आपूर्ति की मात्रा माप पुस्तिका में मिटाकर बढ़ाकर दर्ज की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है और इससे ऐसा भी संशय होता है कि कार्य आदेश में विभिन्न मदों की आपूर्ति की मात्रा को काल्पनिक आधार पर जान बूझकर माप पुस्तिका में बढ़ा चढ़ाकर रिकार्ड किया गया है ताकि रेत की कम प्राप्त की गई मात्रा हेतु कार्य आदेश अनुसार कम भुगतान की जा रही राशि को अन्य मदों की मात्रा को बढ़ाकर दिखाया जाने पर कार्य आदेश की कुल राशि के बराबर व्यय बढ़ा दिया जाए । कार्य आदेश की मदों [रेत को छोड़कर] की वास्तविक एवं अनुमानित मात्रा में अन्तर का कारण भी यही प्रतीत होता है । अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण कारणों सहित मात्राओं की आपूर्ति में विचलन का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि वास्तव में ही माप पुस्तिका में

....लगातार....

26 वाउचर संख्या 70 दिनांक 17.3.97 राशि 10588.00 रू0

वर्णित मात्रा में उक्त मदों की आपूर्ति आवास बोर्ड को प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त उक्त सामान से सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर सामान के उपयोग के विवरण सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

27. राशि 889/-रू0 के वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान :-

श्री दीवान चन्द, चौकीदार की सेवा पुस्तिका की जांच के दौरान पाया गया कि वे वेतनमान 770-1440 रू0 में कार्यरत होने पर उन्हें माह मार्च में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है । यथानुसार उन्हें दिनांक 01.03.97 से वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर उनका वेतन 1090+25 रू0 के स्तर से बढ़ाकर 1125+ 25 रू0 के स्तर पर निर्धारित किया गया । परन्तु एक माह उपरान्त अर्थात 01.04.97 को उन्हें पुन: वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर उनका वेतन 1125+ 25 रू0 के स्तर से बढ़ाकर 1160+25 रू0 के स्तर पर निर्धारित करके आहरित किया गया । यह एक अत्यन्त ही गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार ~~xxx~~ अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.97 की अपेक्षा दिनांक 01.03.98 से देय होनी थी । उक्त अनियमितता के कारण श्री दीवान चन्द, चौकीदार को निम्न विवरणानुसार 889.00 रू0 की राशि का अधिक भुगतान किया गया :

क्र.सं.	विवरण	दत्त राशि	देय राशि रू0 में	अधिक भुगतान की राशि रू0
1.	दिनांक 01.04.97 से स्वीकृत अनियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण अवधि 01.04.97 से 31.7.97 तक वाउचर संख्या: 31 दिनांक 10.10.97 द्वारा भुगतान बकाया राशि ।	580.00	शून्य	580.00
2.	अवधि 01.08.97 से 31.10.97 तक के मासिक वेतन के साथ आहरित एवं भुगतान की गई राशि	3596x3= 10788.00 मूल वेतन 1160 ए.पी. 25 डी.ए. 2015 आई.आर. 387 (I+II+III) एच.आर.ए. 59.00 3596	3493x3= 10479.00 1125 25 1955 380 58.00 3493	309.00
	कुल राशि			889.00

अत: इस प्रकार अधिक भुगतान की गई राशि 889.00 रू0 की वसूली सम्बन्धित/दोषी व्यक्ति से करने के अतिरिक्त श्री दीवान चन्द, को देय वेतन एवं भत्तों को सही दर से आहरण करना भी सुनिश्चित किया जाए ।

....लगातार....

28. वाउचर संख्या 70 दिनांक 17.3.97 राशि 10588.00 रू0

कार्य का नाम :- किलगाड़ी में स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्टाफ क्वार्टस का निर्माण
एस.एच:- रिटेनिंग वाल का निर्माण

वर्क आर्डर संख्या :- 86 वर्ष 1996-97
बिल संख्या : प्रथम व अन्तिम ।
संविदाकार का नाम:- श्री अब्दुल रहमान ।

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर से सम्बन्धित कार्य आदेश संख्या 86 की मद संख्या 6 के अनुसार कन्स्ट्रक्शन आफ ड्राई रबल मैसनरी इन वर्टीकल वाल के कुल 12-21 घन मी. के लिए गए माप हेतु 90.00 रू0 की दर से 1098.90 रू0 का भुगतान किया गया । परन्तु माप पुस्तिका संख्या 846 के पृष्ठ 20 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि रिटेनिंग वाल जिसकी कुल लम्बाई 9.40 मी. लम्बाई में करवाते हुए माप की गणना की गई है जबकि यह कार्य 5.80 मी. लम्बाई में ही करवाया जाना अपेक्षित था क्योंकि रिटेनिंग वाल की कुल लम्बाई में मद संख्या 5 अनुसार आर.आर. मैसनरी इन वर्टीकल वॉल का कार्य 3.60 मीटर लम्बाई तक पूर्व में करवाया जा चुका था । अत: गलत माप लिए जाने के परिणाम स्वरूप उक्त मद हेतु 4.68 घन मी. माप अधिक दर्शाया गया । जिस कारण उक्त संविदाकार को 90.00 रू0 प्रति घन मी. की दर से कुल 421.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जाए । माप की गणना का विवरण निम्न दिया जाता है ।

माप जो लिया गया	माप जो बनता है	अन्तर घन मी. में
$9.40 \times \frac{0.96 + 1.30}{2} \times 1.15$ = 12.21 घन मी.	$5.80 \times \frac{0.96 + 1.30}{2} \times 1.15$ = 7.53 घन मी.	4.68 घन मी.

(ख) इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य की उक्त मद की 4.68 घन मी. मात्रा हेतु इसी निर्माण कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर पृष्ठ संख्या 7 पर 4.68 घन मी. बोल्डर स्टोन की भी अधिक खपत दर्शाई गई थी । अत: इन पत्थरों की 247.20 रू0 प्रति घन मी. की दर से कुल 1157.00 रू0 की राशि की दोषी से शीघ्र वसूली की जाए ।

29. वाउचर संख्या 213 दिनांक 31.3.97 राशि 3,99,565.00 रू0

कार्य का नाम :- सिद्धपुर में 18 नं. टाईप-3 क्वार्टस का निर्माण ।
अनुबन्ध संख्या :- 6 वर्ष 1996-97
संविदाकार का नाम :- श्री डी.डी. जैन
माप पुस्तिका संख्या :- 877 पृष्ठ 8 से 40
बिल संख्या :- 11वां चालू बिल ।

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 32/43 एपलाईंग प्राइमरी कोट आन न्यू वुड के करवाए गए 1193.66 वर्ग मी. के कार्य हेतु 6.00 रू0 (पार्ट दर) की दर से 7161.96 रू0 का भुगतान किया गया ।

.....लगातार...

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विविध समारोह में हार्डवेयर मदों पर व्यय=3569.00	कम्पनियों

...लगातार....

उक्त मद में सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि दरवाजों व वायर गेज शटर व खिड़कियों के लिए माप की गणना करते समय दरवाजों के लिए 1.33 व खिड़कियों के लिए 0.80 फैक्टर का प्रयोग किया गया था । जबकि आवास बोर्ड के कुछ मण्डलों में उक्त फैक्टर के स्थान पर क्रमशः 1-125, 0-50 व 0-50 का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी । अतः गलत फैक्टर लगाए जाने के फलस्वरूप 136.32 वर्ग मी. का माप अधिक लिया गया है जिसका वर्णन निम्न वर्णित है । 136.32 वर्ग मी. के अधिक लिए गए माप हेतु 6.00 रू0 पार्ट दर प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 818.00 रू0 की राशि की वसूली संविदाकार/दोषी व्यक्ति से की जाए व अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाया जाए ।

शटर के लिए 1.33

विवरण	भुगतान हेतु ली गई मात्रा वर्ग मी. में	सही फैक्टर अनुसार भुगतान योग्य मात्रा वर्ग. मी. में	अधिक दत्त मात्रा वर्ग मी. में
सिंगल ब्लाक "ए" 6 न सैट			
दरवाजे डी से डी2	243.08	205.61	37.47
खिड़कियाँ डब्ल्यू। से डब्ल्यू3	77.14	48.21	28.93
वायर गेज शटर	14.94	5.97	8.97
	181.94	120.99	60.95
		योग:-	136.32

30. वाउचर संख्या 58 दिनांक 17.7.96 राशि 98953.00 रू0

कार्य का नाम :- के.एन.वी. पपरोला में 12 नं. डैकस चौखटों ज्वत लित

बिल संख्या :- 18 वर्ष 1993-94

अनुबन्ध संख्या :-

संविदाकार का नाम :- श्री सुनील मनोचा

माप पुस्तिका संख्या :- 742 पृष्ठ 26 से 39

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 32 व 33 जिसके अन्तर्गत एप्लाईंग ए प्राईमरी कोटवीद रैडी मिक्सड तथा पेंटिंग वीद रैडी मिक्सड पेंट का कार्य क्रमशः 344.93 वर्ग मी. व 344.93 वर्गमी. करवाया गया था, हेतु 10.00 रू0 व 10.00 रू0 (पार्ट दर पर पूर्ण दर 28.00 रू0 प्रति वर्ग मी. थी) की दर से 3449.30 रू0 व 3449.30 रू0 का भुगतान किया गया उक्त कार्य की मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि लकड़ी के दरवाजों तथा खिड़कियों के फ्रेम व चौखटों पर प्राईमर व पेंट करने से सम्बन्धित माप की गणना करते समय दरवाजों की मात्रा को 1.30 व खिड़कियों की मात्रा को 0.80 को फैक्टर लगाया गया था जबकि लागू सी.पी. डब्ल्यू. डी. स्टैंडर्ड रेट 1977 के पास अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लागू सी. पी. डब्ल्यू. डी. स्टैंडर्ड रेट 1977 के पास 12 की क्लाज संख्या 13-22-6-4 के अनुसार दरवाजों के लिए 1-125 व

.....लगातार.....

			स्थान का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विविध व्यय में हार्डट शर्तों पर व्यय=3569.00	क म्पनियां

...लगातार....

खिड़कियों के लिए 0.50 का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था । अतः गलत फैक्टर लगाए जाने के फलस्वरूप प्रत्येक मद में 108.20 वर्ग मी. के अधिक लिए गए माप, जिसका विवरण निम्न वर्णित है, के लिए 10.00 रु0 {पार्ट दर} के आधार पर प्रत्येक मद हेतु 1082.00 रु0 कुल 2164.00 रु0 का भुगतान अधिक हुआ है, जिसकी वसूली करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाया जाए ।

विवरण	भुगतान हेतु ली गई मात्रा वर्ग फुट में	सही फैक्टर अनुसार भुगतान योग्य मात्रा वर्ग फुट में	अधिक ली गई मात्रा वर्ग फुट में
8 दरवाजे	40.11	34.71	5.40
5 दरवाजे	24.83	21.48	3.35
5 दरवाजे	23.20	20.07	3.13
7 वैंटीलेटर	5.85	3.65	2.20
8 वैंटीलेटर	6.26	3.91	2.35
34 -"-	33.76	21.11	12.65
22 -"-	20.00	12.50	7.50
12 -"-	9.13	5.70	3.43
23 खिड़कियां	23.28	14.55	8.73
2 -"-	1.91	1.19	0.72
97 -"-	102.43	64.01	38.42
99 वर्टीकल खिड़कियां	54.17	33.85	20.32
	344.93	236.73	108.20

31. समायोजन वाउचर संख्या 37 माह 3/97 राशि 71492.00 रु0

कार्य का नाम :- जे.एन.वी. पपरोला में सड़क का निर्माण ।
माप पुस्तिका संख्या :- 816 पृष्ठ 35 से 38
अनुबन्ध संख्या :- 19 वर्ष 1996-97
संविदाकार का नाम :- श्री अश्वनी कुमार
बिल संख्या :- द्वितीय चालू बिल

{क} उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 1 अर्थ वर्क इन फाउंडेशन के करवाए गए 125.25 घन मी. के कार्य हेतु 65.00 रु0 की दर से 8142.55 रु0 की अदायगी की गई । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 816 के पृष्ठ 31 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टी की मात्रा 81.48 घन मी. भी सम्मिलित थी, जिसकी गणना की जांच करने पर पाया गया कि कि आर.डी. 709.77 से 723.97 तक की लम्बाई 14.20 मीटर के स्थान पर 21.20 मीटर लेकर गणना की गई थी । इस अनियमितता के फलस्वरूप कुल माप 12.71 घन मी. के स्थान पर केवल 7.45 घन मी. ही बनता था । अतः 5.26 घन मी. के अधिक लिए गए माप हेतु 65.00 रु0 प्रति घन मी. की दर से 342.00 रु0 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया है । इस

.....लगातार......

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विविध व्यय में ईंटेंट	

राशि की वसूली दोषी व्यक्ति/संविदाकार से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए । उक्त माप का विवरण निम्न दिया जाता है ।

लिया गया माप	माप जो बनता है	अधिक लिया गया माप घन मी. में
24.20x0.75x0.70 = 12.71	14.20x0.75x0.70 = 7.45	5.26

(ख) इसी प्रकार अनुबन्ध की मद संख्या 2 प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सिमेंट कंक्रीट xxxx 1:6:12 इन रिटेनिंग वाल का कार्य उपरोक्त वर्णित आर.डी. 709.77 से 723.97 तक में भी 24.20 मीटर लम्बाई लेकर गणना की गई थी । जबकि वास्तव में यह कार्य 14.20 मी. में ही हुआ है । अतः 10.00 मी. की लम्बाई अधिक दर्शाए जाने के परिणामस्वरूप 1.13 घन मी. माप अधिक लिया गया है जिसका विवरण निम्न वर्णित है । 1.13 घन मी. के अधिक लिए गए माप हेतु 850.00 रू0 की दर से अधिक भुगतान की गई 960.50 रू0 की राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/दोषी से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय करवाया जाए ।

भुगतान हेतु लिया गया समय	माप जो बनता था	अधिक लिया गया माप घन मी. में
24.20x0.75x0.15=2.72	14.20x0.75x0.15= 1.59	1.13

32. वाउचर संख्या 119 दिनांक 21.3.97 राशि 19730.00 रू0

कार्य का नाम :- मकलोड़गंज में टूरिस्ट इन्फारमेशन सैंटर की नींव का कार्य ।

वर्कआर्डर संख्या :- 89 वर्ष 1996-97

माप पुस्तिका संख्या :- ~~प्रथम व अन्तिम~~ 869/98 पृष्ठ 1 से 10

संविदाकार का नाम := श्री अब्दुल रहमान ।

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा टूरिस्ट इनफारमेशन सैन्टर मैकलोड़गंज की फाउंडेशन एण्ड प्लींथ का कार्य लेबर रेट पर म0 19730.00 रू0 में करवाया गया । उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित ड्राईंग अंकेक्षण के दौरान बार-2 मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस कारण माप पुस्तिका में दर्ज विभिन्न मदों के माप की पुष्टि नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में की गई रिकार्ड प्रविष्टियां भी स्पष्टतः स्पष्ट नहीं थी । प्रथम एवं अन्तिम बिल के साथ संलग्न विचलन विवरणी को भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था । सामान उपयोग विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि 40 एम.एम. बजरी, कट स्टोन व रेत का उपयोग क्रमशः 5.66 घन मी., 29.74 घन मी. व 12.73 घन मी. दर्शाया गया था जबकि इस निर्माण कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर में सामान की केवल इतनी ही मात्रा उपलब्ध थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि माप पुस्तिका अनुसार किए गए कार्य का माप अधिक दर्शाया गया था । इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण

.....लगातार.....

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विभिन्न मदों पर व्यय=3569.00	[illegible] में होटल काम्पलैक्स

लगातार....

पर अवगत करवाया जाए तथा उपरोक्त वर्णित अभिलेख भी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

33 वाउचर संख्या 33 दिनांक 10.7.96 राशि 1,91,577.00 रू0

कार्य का नाम :- सिकपुर में स्कूल शिक्षा बोर्ड के 18 नं. टाईप-3 क्वार्टर्स का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या :- 6 वर्ष 1995-96

माप पुस्तिका संख्या :- 810 पृष्ठ 33 से 45

संविदाकार का नाम :- श्री डी. डी. जैन

बिल संख्या :- छठा चालू बिल

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर के अन्तर्गत अनुबन्ध की मद संख्या 8/8 (बी) प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सिमेंट कंक्रीट 1:2:4 के कुल 170.595 घन मी. के लिए गए माप हेतु 1600.00 रू0 की दर से 2,72,952.00 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त मात्रा की गणना करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 810 के पृष्ठ संख्या 30 से 37 पर इस कार्य की कुल 2.423 घन मी. मात्रा को 2.623 घन मी. दर्शाया गया था । इस अनियमितता के परिणामस्वरूप संविदाकार को 0.20 घन मी. हेतु 1600.00 रू0 प्रति घन मी. की दर से कुल 320.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की शीघ्र वसूली की जाए ।

(ख) उपरोक्त वर्णित वाउचर के अन्तर्गत अनुबन्ध की मद संख्या 10 प्रोवाईडिंग टोर स्टील रीईन्फोरसमेंट से सम्बन्धित कुल 46,774.56 कि. ग्रा. स्टील के लिए गए माप हेतु 16.00 रू0 प्रति कि. ग्रा. की दर से 748391.36 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त मद से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करते समय पाया गया कि 8 एम.एम. व 16 एम.एम. डाया की स्टील को रनिंग मीटर से कि. ग्रा. में बदलते समय क्रमशः 0.39 के स्थान 0.395 व 1.58 के स्थान पर 1.62 कि. ग्रा. प्रति रनिंग मी. का फैक्टर लगाया गया जिसके फलस्वरूप 34.05 कि. ग्रा. स्टील जिसका ब्यौरा निम्न वर्णित है, का उपयोग अधिक दर्शाया गया । इस अनियमितता के कारण संविदाकार को 34.05 कि. ग्रा. स्टील रीईन्फोरसमेंट के कार्य हेतु 16.00 रू0 प्रति कि. ग्रा. की दर से कुल 544.80 रू0 का भुगतान अधिक किया गया जिसकी वसूली दोषी से शीघ्र की जाए व अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाया जाए ।

माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या	स्टील की साईज	लगाए गए फैक्टर के अनुसार दी मात्रा	सही फैक्टर अनुसार मात्रा	अधिक ली गई मात्रा
787/95	75	16 एम.एम.	776.59	757.42	19.17
-"-	75	8 एम.एम.	984.76	973.56	11.20
-"-	77	8 एम.एम.	289.92	286.24	3.68
				योग	34.05

....लगातार...

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. आयोजन से सम्बन्धित विविध व्यय मदों पर व्यय=3569.00	में हैरिटेज कम्पलेक्स

....लगातार....

34. वाउचर संख्या 22 दिनांक 4. 3. 97 राशि 3,83,654.00 रू0

कार्य का नाम :- सिद्धपुर में स्कूल शिक्षा बोर्ड के 18 नं. टाईप-3 क्वाटर्स का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या :- 6 वर्ष 1995-96

माप पुस्तिका संख्या :- 837 पृष्ठ 70

संविदाकार का नाम :- श्री डी. डी. जैन

बिल संख्या :- दसवां चालू बिल

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 29/39 स्टील वर्क वैल्डिड् इन बिल्ट अप सैक्शन के कुल 63.6715 क्विंटल माप हेतु 2350.00 रू0 की दर से 1,49,628.02 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त लिये गए माप में माप पुस्तिका संख्या836 के पृष्ठ 49 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टी की मात्रा 794.22 कि.ग्रा. भी सम्मिलित थी । उक्त प्रविष्टी की गणना जांच करने पर पाया गया कि 4 अदद सैटों के बरामदा में एम.एस.टी. 40x40x6 साईज की 0.95 मी. लम्बी 3 अदद कुल 2.85 मी. लम्बी का प्रयोग करते हुए कुल मात्रा 11.40 रन मी. का उपयोग दर्शाया गया है । उक्त मद की रिकार्ड प्रविष्टी में कटिंग की गई है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह सही संख्या 3 के स्थान पर दो ही थी । इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा तथ्यों की छानबीन करके वस्तुस्थिति आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

35. वाउचर संख्या 173 दिनांक 31. 3. 97 राशि 48040.00 रू0

कार्य का नाम :- सिद्धपुर में एक नं. टाईप-5 के मकान का निर्माण ।

बिल संख्या :- तीसरा चालू बिल

अनुबन्धं की संख्या :- 16 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम :- श्री कुलदी मेहरा ।

माप पुस्तिका संख्या :- 808 पृष्ठ 82 से 90 तक ।

उपरोक्त वाउचर द्वारा संविदाकार को कुल 48,040.00 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त भुगतान में से प्रतिभूति के रूप में 4604.00 रू0, सेल टैक्स 921.00 रू0 व आयकर 921.00 रू0 की कटौती की गई । परन्तु सही गणनानुसार यह राशियां क्रमशः 4803.00 रू0, 960.00 रू0 व 960.00 रू0 संविदाकार के बिल में से काटी जानी वांछित थी । अतः उक्त भुगतान में से प्रतिभूति के रूप में 199.00 रू0, आयकर व सेल टैक्स के रूप में 39.00 रू0 व 39.00 रू0 की कटौतियां कम करके संविदाकार को कुल 277.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जाए ।

36. वाउचर संख्या 12[illegible] दिनांक 22. 3. 97 राशि 3,08,818.00 रू0

कार्य का नाम :- सिद्धपुर में 18 नं0 टाईप-2 क्वाटर्स ।

बिल संख्या :- चतुर्थ चालू बिल

अनुबन्ध संख्या :- 7 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम :- श्री डी. डी. जैन

.....लगातार....

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. अध्यापन से सम्बन्धित विविध मदों पर व्यय=3569.00	उम्बा में हॉर्टिंट कम्पलैक्स

...लगातार....

माप पुस्तिका संख्या :- 829

उपरोक्त वर्णित वाउचर के अनुसार अनुबन्ध की मद संख्या 7/10 प्रोवाईडिंग टोर स्टील रीइन्फोर्समेंट के लिए गए माप हेतु 21642.53 कि.ग्रा स्टील हेतु 16.25 रू0 प्रति कि.ग्रा. की दर से 3,51,691.11 रू0 का भुगतान किया गया । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 829 के पृष्ठ 24 से 45 पर की गई 10877 कि.ग्रा. से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा भी सम्मिलित थी । उक्त मात्रा की गणना की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम.एम. डाया की स्टील को रनिंग मी. से कि.ग्रा. में परिवर्तित करते समय 0.395 का फैक्टर लगाया गया है जबकि सही गणना अनुसार 0.39 का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था । गलत फैक्टर लगाए जाने के परिणामस्वरूप 45.15 कि.ग्रा. स्टील जिसका विवरण निम्न वर्णित है, का उपयोग अधिक दर्शाया गया है । इस प्रकार सम्बन्धित संविदाकार को 45.15 कि.ग्रा. स्टील का अधिक उपयोग दर्शाकर 16.25 रू0 प्रति कि.ग्रा. की दर से 734.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि की शीघ्र वसूली के अतिरिक्त स्टील की उक्त मात्रा को भी सम्बन्धित अभिलेख में तदानुसार दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

माप पुस्तिका संख्या	प्रयोग हुए रनिंग मी.	दर्शाया गया भार	सही फैक्टर अनुसार भार	अधिक भार कि.ग्रा. में
25	22.20	8.77	8.66	0.11
27	696.41	275.08	271.60	3.48
29	704.05	278.10	274.58	3.52
34	2718.95	1073.98	1060.39	13.59
37	680.95	268.97	265.57	3.40
39	1959.95	774.02	764.20	9.82
40	844.86	333.72	329.50	4.22
42	844.86	333.72	329.50	4.22
44	558.59	220.64	217.85	2.79
			योग:-	45.15 कि.ग्रा0

37. समायोजन वाउचर संख्या 25 माह 3/97 राशि 69043.00 रू0

कार्य का नाम :- तिहाड़ में 180 क्वाटर्स का निर्माण
अनुबन्ध संख्या : 10 वर्ष 1993-94
संविदाकार का नाम :- श्री डी. डी. जैन
माप पुस्तिका संख्या : 775 पृष्ठ 65 से 91
बिल संख्या : 18 वां चालू बिल ।

उपरोक्त वर्णित वाउचर से सम्बन्धित प्रतिस्थापित मद संख्या 29/31(ii) डिस्टैम्परींग वीथ ड्राई डिस्टैम्पर ऑफ एप्रूव्ड ग्रेड के 4499.20 वर्ग मीटर माप हेतु 8.00 रू0 (पार्ट रेट पूर्ण दर 14.40 रू0 थी) की दर से

....लगातार....

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. अपराधियों से सम्बन्धित विविध जमात में हैंडिंग दरों पर व्यय=3569.00	कम्पलैक्स

35993.0080 का भुगतान किया गया । परन्तु माप पुस्तिका संख्या 818 के पृष्ठ 19 पर की गई इस मद से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि x किए गए कार्य की कुल मात्रा x 4499.20 xx वर्ग मी. के स्थान पर केवल 4481.28 वर्ग मी. ही बनती थी । इस प्रकार गलत गणना करके 17.92 वर्ग मी. हेतु 8.00 रू0 प्रति वर्ग मी. की दर से 143.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया । इस x राशि की दोषी से शीघ्र वसूली की जाए ।

38. वाउचर संख्या 16 मास 7/96 राशि 68,558/-रू0

सिद्धपुर में स्कूल शिक्षा बोर्ड की कलोनी में टाईप-4 के दो फ्लैटों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुबन्ध संख्या 9 वर्ष 1995-96 तथा संविदाकार श्री डी. डी. जैन के प्रथम चलत बिल की जांच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं :-

(क) माप पुस्तिका संख्या 821/96 के पृष्ठ संख्या 2 पर एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ------- से सम्बन्धित की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच पर पाया गया कि कॉलम संख्या ए4 का क्षेत्रफल xxx 3.86 घन मी. ही xxxxxx बनता था जबकि यह क्षेत्रफल 7.22 घन मी. बनाया गया था । इस तरह संविदाकार को 3.36 घन मी. (7.22-3.86) हेतु 90 रू0 प्रति घन मी. की दर से 302/-रू0 की राशि का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की दोषी से शीघ्र वसूली की जाए ।

(ख) इसी प्रकार माप पुस्तिका संख्या 821/96 के अनुसार ही हि0प्र0 मानक दर अनुसूचि, 1987 की मद संख्या 9.31 (ए) तथा कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 7 की कुल कार्य मात्रा 26.848 घन मी. का भुगतान 1650/-रू0 प्रति घन मी. की दर से किया गया । इस कार्य मात्रा में 10.162 घन मी. माप कॉलमों के टेपर्ड (Tapered) भाग के लिए लिया गया था । कॉलमों के टेपर्ड भाग का आयतन निकालने के लिए ($\frac{H}{3}(A_1+A_2)+\sqrt{A_1+A_2}$) के सूत्र का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था जिसके कारण संविदाकार को 1.898 घन मी. मात्रा हेतु 1650/-रू0 प्रति घन मी. की दर से xx 3,132/-रू0 का अधिक भुगतान किया गया था । इस अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार था ।

कॉलम xx का नाम	सं0	बाटम क्षेत्र	टॉप क्षेत्र	उंचाई	देय मात्रा घन मी.	दी गई मात्रा घन मी.	अधिक भुगतान घन मी.
बी8,बी4,बी5, सी4 व सी5	5	4.134	0.181	0.25	2.158	2.696	0.538
ए2,ए7,ए3, ए6 व सी7	5	3.029	0.101	0.225	1.815	2.255	0.440
ए4,ए5,सी8,	3	3.003	0.181	0.25	0.900	1.194	0.214
बी2,बी7 सी6	3	4.44	0.181	0.275	1.517	1.906	0.389
बी3,सी6	2	4.988	0.181	0.275	1.220	1.421	0.201
ए1,ए8	2	2.58	0.181	0.25	0.574	0.690	0.116
					8.264	10.162	1.898

...लगातार..

स्थल का विवरण नाम

भुगतान दर प्रति घन मीटर = 1650.00 रू0
अधिक भुगतान की गई कुल राशि = 1.898×1650.00= 3132.00 रू0

उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की तुरन्त वसूली के अतिरिक्त भविष्य में सही सूत्र का प्रयोग किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा उपरोक्त अनियमितता के कारण उक्त निर्माण कार्य पर 12 बोरी सिमेंट (1.898×6.40) की गणना भी कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाए ।

39. गलत जारी दर निर्धारित करने से राशि मु0 1560/-रू0 का घाटा

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन आवास बोर्ड उप मण्डल कांगड़ा के स्टाक लेखे वर्ष 1996-97 की जांच करने पर पाया गया कि 9 एम.टी. सिमेंट की मात्रा जी. आर. संख्या 2177 दिनांक 21.12.96 द्वारा प्राप्त की गई जिसकी कुल कीमत 2667,60 रू0 प्रति एम.टी. के हिसाब से राशि मु0 24,009/-रू0 बनती थी तथा इस राशि समायोजन वोचर संख्या 63 मास 3/97 द्वारा किया हुआ पाया गया । उक्त 9 एम.टी. सिमेंट शेष पड़ी 80 बोरी सहित स्टाक कांगड़ा के विभिन्न निर्माण कार्यों को जारी दर मु0 133/-रू0 प्रति बोरी के हिसाब से डेबिट किया गया जबकि अग्रिम बिल संख्या 7 मास 12/96 की जांच पर पाया गया कि सिमेंट की लदाई उतराई तथा विभागीय प्रभार को जोड़कर जारी दर 139/-रू0 प्रति बोरी निर्धारित होना अपेक्षित था । अतः निम्नलिखित इन्डैन्टों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों की को सिमेंट की मात्रा जारी दर 133/-रू0 के स्थान पर 139/- रू0 प्रति बोरी के हिसाब से जारी की जानी अपेक्षित थी । परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों को राशि मु0 1560/-रू0 कम खर्चा पड़ा है । अतः कम दर निर्धारित करने से बोर्ड को मु0 1560/-रू0 का घाटा हुआ है । इस अनियमितता हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करके घाटे के राशि की दोषी से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

निर्माण कार्य का नाम	बिन कार्ड नं0	इन्डैन्ट नं0 और दिनांक	जारी किए गए सिमेंट की मात्रा	जिस दर से सिमेंट जारी किया गया	जारी दर जो लागू होनी उचित थी	अन्तर	वसूली की राशि
रीटेनिंग वाल (विभागीय)	114	8494/28.12.96	60	133	139	6	360
रीटेनिंग वाल संविदाकार श्री रतन सिंह	114	8495/7.1.97	29	133	139	6	174
-यथोपरि-	114	8499/16.1.97	29	133	139	6	174
-यथोपरि-	114	9201/31.1.97	29	133	139	6	174
रीटेनिंग वाल (विभागीय)	114	9205/31.1.97	40	133	139	6	240
रीटेनिंग वाल संविदाकार श्री रतन सिंह		9204/21.2.97	27	133	139	6	162

......लगातार...

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उत्पादन से सम्बन्धित विविध व्यय में [illegible] मदों पर व्यय=3569.00	हॉस्टल कम्पलैक्स

रीटेनिंग वाल (विभागीय)	9208/27.2.97	46	133	139	6	276
					कुल	1560

40. निम्नलिखित समायोजन वाउचरों की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किया गया व्यय सम्बन्धित निर्माण कार्यों को डेबिट/क्रेडिट न करके असम्बन्धित कार्यों को डेबिट/क्रेडिट कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

क्र. सं.	समा. वाउचर सं0	मास	समायोजित राशि	कार्य का नाम तथा जितनी राशि का डेबिट दिया जाना अपेक्षित था।	कार्य का नाम तथा जितनी राशि का डेबिट दिया गया था।	कार्य का नाम तथा जितनी राशि का क्रेडिट दिया जाना अपेक्षित था	कार्य का नाम तथा जितनी राशि का क्रेडिट दिया गया था।
(1)	2	7/96	617856.00	18नं. श्रेणी-3 157410.00रु0 18 नं. श्रेणी-2 58518.00रु0	18नं. श्रेणी-3 215928.00 रु0 18 नं. श्रेणी-2 शून्य	---	---
(2)	1	3/97	1011489.00	12नं0श्रेणी-2ग्रुप-1 88973.50 रु0 12नं. श्रेणी-2ग्रुप-2 168721.00रु0	12नं0श्रेणी-2ग्रुप-1 121174.00 रु0 12नं0श्रेणी-2ग्रुप-2 136521.00 रु0	---	---
(3)	71	3/97	11030.00	एस.आर. कांगड़ा कलोनी 82.00 रु0	एस.आर. कांगड़ा कलोनी 104.00 रु0	12नं. एच.आई.जी. मकान 82.00 रु0 मरम्मत व अनुरक्षण एस.एच.एस. कांगड़ा 4016.00रु0 रीटेनिंग वाल एच.आई.जी. मकान 6425.00रु0	12नं. एच.आई.जी.मकान 148.00रु0 मरम्मत व अनुरक्षण एस.एच.एस. कांगड़ा 4140.00रु0 रीटेनिंग वाल एच.आई.जी. मकान 6289.00रु0

नोट :- समायोजन की वास्तविक राशि रु0 11008 रु0 बनती थी जबकि उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा समायोजन रु0 11030/-रु0 का किया गया।

क्र. सं.	समा. वाउचर सं0	मास	समायोजित राशि				
(4)	72	3/97	2316.00	0 नं. एच.आई.जी.-2 मकान डेरा 50882.00रु0	6नं. एच.आई.जी.-2 डेरा 50882.00रु0		

नोट :- सामान का स्थानान्तरण इन्डैंट संख्या 8725 दिनांक 30.4.96 के अनुसार किया गया था।

....लगातार....

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विविध समारोह में मदों पर व्यय=3569.00	हाईट कम्पलैक्स

...लगातार....

41. निम्नलिखित सामान की निम्न मात्रा जी.आर. संख्या 2471 दिनांक 10.7.96 द्वारा आवास बोर्ड उपमण्डल धर्मशाला द्वारा आवास बोर्ड उप मण्डल नरपुर से प्राप्त की गई थी परन्तु उप मण्डल नरपुर से इस सामान के जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण सामान के प्राप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक जांच अंकेक्षण पर नहीं की जा सकी ।

अतः उप मण्डल नरपुर द्वारा उपमण्डल धर्मशाला को जारी किए गए निम्न सामान से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

सामान का विवरण	सामान की मात्रा	दर	राशि
टोर स्टील 8 एमएम डाया	1.488 एम.टी.	13792/-	20522.50
सी.जी.आई. शीटस 10 (पूर्व में इस्तेमाल की हुई)	0.108 एम.टी.	17078.00	1844.42
जी.आई. पाईप 32 एमएम	50 रनिंग मीटर	70.00	3500.00
जी.आई. पाईप 20 एमएम	41.20 रनिंग मी.	31.00	1277.20
जी.आई. पाईप 15 एमएम	10.95 रनिंग मी.	31.00	339.45

42. एम.ए.एस. रजिस्टर संख्या 13/93 की जांच पर पाया गया कि निम्नलिखित सामान निम्नलिखित इन्डैंटों द्वारा कार्य पर उपयोग हेतु जारी किया गया था परन्तु उक्त इन्डैण्टों को अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया । सम्बन्धित इन्डैन्ट, इनके समायोजन अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं ।

क्रम संख्या	एम.ए.एस संख्या	पृ0 सं0	जारी किए गए सामान का विवरण	इन्डैन्ट संख्या	मास
1.	13/93	21	1.508 एम.टी. स्टील	9119	12/96
2.	13/93	41	1.63 एम.टी. सी.जी. आई. शीटस 63 एम.एम.	9104	10/96

43. भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय राजस्व विभाग सैंट्रल बोर्ड आफ डायरैक्ट टैक्स के पत्र संख्या एफ.नं. 123/97/96-टी.पी.एल. दिनांक 3.8.95 के अनुसार विज्ञापनों पर हुए व्यय का भुगतान करते समय कुल राशि के एक प्रतिशत ~~व्यय का भुगतान करते समय कुल राशि के एक प्रतिशत~~ की दर से आयकर काटा जाना अपेक्षित था । परन्तु आवास बोर्ड के धर्मशाला मण्डल के विज्ञापन रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां विज्ञापन पर हुए व्यय के रूप में भुगतान की गई थीं परन्तु इन राशियों का भुगतान करते समय निर्धारित दर से आयकर नहीं काटा गया था । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए :-

वाउचर बिल सं0	दिनांक	राशि	विज्ञापन की तिथि	अखबार का नाम
24	8.7.96	5040.00	18.6.96	मै. हिमाचल केसरी धर्मशाला

..लगातार..

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विविध समारोह में विभिन्न मदों पर व्यय=3569.00	हौर्टट कम्पलैक्स

...लगातार....

156	31. 3. 97	7500. 00	12. 2. 97	मै. टैलेस्टार एंडवरटाइजिंग
157	31. 3. 97	15000. 00	12. 2. 97	------यथोपरि-----
158	31. 3. 97	9500. 00	12. 2. 97	------यथोपरि------
160	31. 3. 97	24000. 00	12. 2. 97	------यथोपरि------
2075	17. 6. 96	15600. 00	10. 6. 96	------यथोपरि------
2076	17. 6. 96	10400. 00	12. 6. 96	------यथोपरि------
2082	10. 7. 96	11000. 000	5. 7. 96	------यथोपरि------
2083	18. 7. 96	10000. 00	18. 7. 96	------यथोपरि------
2104	7. 10. 96	16500. 00	3. 10. 96	------यथोपरि------
2105	7. 10. 96	10000. 00	3. 10. 96	------यथोपरि ----
99	27. 11. 96	12000. 00	16. 11. 96	मै. दी ट्रिब्यून चण्डीगढ़
100	27. 11. 96	14250. 00	16. 11. 96	-------यथोपरि------
2153	28. 12. 96	15000. 00	27. 12. 96	मै. टैलेस्टार एंडवरटाइजिंग
2154	28. 12. 96	24000. 00	28. 12. 96	------यथोपरि-------
2159	6. 1. 97	9500. 00	2. 1. 97	------यथोपरि------

44. अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य यद्यपि कई वर्ष पूर्व पूर्ण किए जा चुके थे परन्तु इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिल अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किए गए थे। यह एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि जहाँ एक ओर इन निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण थे वहाँ दूसरी ओर ऐसे निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था। इस के अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों अनुसार व्यय (+) (–) की गई राशियों को आवास बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था।

यह गम्भीर अनियमितता सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए :-

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 तथा वर्ष	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध राशि	निर्माण कार्य के पूर्ण होने की तिथि
1	10 नं. एच.आई.जी. फ्लैट्स, धर्मशाला	11 वर्ष 89-90	मै. युनाईटिड बिल्डर्स	20,82,973.00	वर्क रिवाईंड
2.	12 नं. एच.आई.जी. मकान कांगड़ा	14 वर्ष 89.-90	मै. अजय कन्स्ट्रक्शन	1571,759.00	30. 7. 93
3.	सिवरेज सामाजिक आवासीय कालौनी देहरा	5 वर्ष 94-95	श्री त्रिलोचन सिंह	2,66,274.00	31. 3. 96
4.	डाईट चम्बा	13 वर्ष 89-90	श्री डी. डी. जैन	55,84,554.00	31. 5. 95
5.	वचत भवन चम्बा	8 वर्ष 88-89	मै. कुमार ऐसोशियेस	59,[illegible],451.[illegible]0	25. 11. 91

...लगातार....

			व्यय का विवरण	नाम
30	3/97	40,006.00	1. उदघाटन से सम्बन्धित विविध मदों पर व्यय=3569.00	चम्बा में डाईट कम्पलैक्स

...लगातार....

45. निम्न दिए गए विवरण से यह विदित होता है कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय इन निर्माण कार्यों क्षक× हेतु स्वीकृत की गई राशियों से भी अधिक किया जा चुका था तथा अभी तक भी यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए थे । परन्तु स्वीकृति से अधिक व्यय की गई राशियों बारे न तो सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति ही प्राप्त की गई थी । और न ही इन निर्माण कार्यों के संशोधित अनुमान एवं प्रकलन तैयार किए गए थे । स्वीकृत से अधिक व्यय की गई राशियों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा जहाँ आवश्यक हो, ऐसे निर्माण कार्यों के संशोधित अनुमान एवं प्रकलन तैयार करके तथा सक्षम अधिकारियों से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	31.3.97 तक व्यय तथा खाता बही पृष्ठ	स्वीकृत पत्र संख्या
1.	सामाजिक आवासीय कालोनी नूरपुर	71,31,215.00	98,29,630.00 (176 से 225)	एच.बी. 37-1/88 दिनांक 15.2.89
2.	विश्राम गृह धर्मशाला	6,04,100.00	8,81,709.00 (326)	एच.बी. 21-1/83-डी.एम.ए/89 दिनांक 5.2.92
3.	जवाहर नवोदय विद्यालय	1,94,000/-	2,12,56,765.00 (334 से 376)	एफ 2-12-4/87-एन.वी. (एस.वर्क्स) दि. 6.7.93
4.	किसान भवन चम्बा	15,93,200.00	19,97,395.00 (145 से 155)	सी.बी.ए (डी.आर.डी.ए. 87-88 दिनांक 16.5.88
5.	डी.आर.डी.ए. चम्बा	12,21,800.00	16,39,615.00 (157 से 164)	डी.आर.डी.ए. चम्बा (128(3)11)/85 दिनांक 14.3.88
6.	बचत भवन, चम्बा	15,33,650.00	18,07,620.00 (167 से 171)	चम्बा-आर.आर. 3(11)/85 दिनांक 12.5.88
7.	कार्यालय भवन धर्मशाला	3,90,236.00	8,93,100.00 (321 से 325)	डी.एम.ए. (ए.एस.आई.एस)/89 दिनांक 20.11.89
8.	कल स्टोर बनूरी	3,29,070.00	5,10,842.00 (201 से 205)	1-24/90-774 दिनांक 23.7.94

46. अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के उद्घाटन समारोह के अवसर पर किया गया तथा इस व्यय की स्वीकृति मण्डल के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई । परन्तु सम्बन्धित नियम जिनके अधीन अधिशासी अभियन्ता उद्घाटन समारोहों पर हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम था, अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गए । सम्बन्धित नियम आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा व्यय की गई राशियों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर के नियमित करवाया जाए :-

वाउचर सं०	मास	कुल राशि	उद्घाटन पर किए गए व्यय का विवरण	निर्माण कार्य का नाम
30	3/97	40,006.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित विविध व्यय में दर्शाई मदों पर व्यय=3569.00	कम्पलैक्स

...लगातार....

2. खाने-पीने व मिठाई = 9842.00
3. शामियाना, कुर्सियां तथा वस्तुओं का किराया तथा ढुलाई = 2478.00
4. फोटोग्राफ्स पर व्यय = 5070.00

20959.00

34	3/97	169456.00	1. उद्घाटन से सम्बन्धित मदों का व्यय = 3753.50 2. शामियाना, कुर्सियां, दरियों का किराया तथा ढुलाई = 11317.50 3. बैंड पार्टी को लाने व ले जाने का व्यय = 3000.00 4. मिठाईयां तथा खाने-पीने पर व्यय = 10062.25 5. इनगरातिंग चार्जिज = 8025.00 36158.25	जवाहर नवोदय विद्यालय पालमपुर

47. समायोजन वाउचर संख्या 73 मास 3/97 राशि 4115/-रु0

इस समायोजन वाउचर द्वारा रु0 4115/-रु0 का क्रेडिट श्री विशन दास, कनिष्ठ अभियन्ता के स्टाफ अग्रिम को तथा निम्न लिखित निर्माण कार्यों को डेबिट किया गया है =

क्र0सं0	निर्माण कार्य का नाम	राशि
1.	1 नं0 श्रेणी-5 क्वार्टर सिंहपुर	1440.00
2.	2 नं0 श्रेणी-4 क्वार्टर सिंहपुर	306.00
3.	18 नं. श्रेणी-3 ------"------	770.00
4.	सड़क	1361.00
5.	बाह्य सिवरेज	56.00
6.	स्वतः वित्तीय स्कीम सैनिपारा को सड़क	132.00
7.	टी.आई.सी कमलोटगंज	50.00
		4115800 = 4115/

परन्तु लोचर दिए गए विवरणानुसार उक्त व्यय की गई राशि का जोड़ केवल 3993.00 रुपये ही बनता है । अतः 122 रुपये (4115 - 3993) की अधिक डेबिट/क्रेडिट की गई राशि बारे लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

48. (ग) निम्नलिखित भुगतान वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां निम्नलिखित सामान के क्रय पर व्यय की गई थीं परन्तु इन राशियों के व्यय करने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वी

....लगातार....

स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी । बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए ही सामान क्रय करने बारे औचित्य स्पष्ट करने के साथ-2 इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए :-

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि	विवरण	भुगतान जिसे किया गया
27	4.3.97	29000.00	200 बोरी सिमेंट	हि. प्र. आपूर्ति निगम धर्मशाला
28	4.3.97	29640.00	200 बोरी -"-	--------यथोपरि-------
78	17.3.97	29000.00	200 बोरी -"-	--------यथोपरि-------
118	21.3.97	36960.00	600 रनिंग मीटर जी.आई.पाईप	अधिशाषी अभियन्ता आई. पी. एच. मण्डल धर्मशाला

(ख) इसी प्रकार भुगतान वाउचर संख्या 124 दिनांक 22.3.97 द्वारा मु0 1,34,518 रूपये की राशि का अग्रिम भुगतान मै. एडुवांस स्टील टयूब लिमिटेड, नई दिल्ली को 5381 किलोग्राम माईल्ड स्टील टयूब क्रय हेतु किया गया । परन्तु सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या एच. बी.-16-एस-6/टैकनीकल दिनांक 23.11.96 द्वारा केवल 109873 रू0 की स्वीकृति प्रदान की थी । वित्तीय स्वीकृति से अधिक भुगतान की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए ।

49. <u>वाउचर संख्या 8 दिनांक 3.3.97 राशि 1,27,500 रू0</u>

मु0 1,27,500/-रू0 रूपये की राशि का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग पालमपुर को जवाहर नवोदय विद्यालय, पपरोला में वाहय जल आपूर्ति के करवाए गए निक्षेप निर्माण कार्य के रूप में भुगतान की गई । उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित खाता बही पृष्ठ संख्या 339 के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान के विरूद्ध मु0 12,750/-रू0 की राशि उक्त निर्माण कार्य के खाते में विभागीय प्रभार के रूप में डेबिट की गई थी । परन्तु जब यह निर्माण कार्य आवास बोर्ड द्वारा स्वयं नहीं करवाया गया तो विभागीय प्रभार डेबिट करने का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता । अत: अनियमित रूप से डेबिट की गई राशि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

50. <u>भुगतान वाउचर संख्या 38 दिनांक 5.3.97 राशि 12024.00 रू0</u>

मु0 12000 रूपये की राशि का भुगतान मै. डा. गुप्ता एण्ड गुप्ता, जियोटैक कन्सलटेन्ट चण्डीगढ़ को शापिंग कम्पलैक्स, चम्बा के पैनेट्रेशन परीक्षण से सम्बन्धित 3 पिटस @ 4000/-प्रति लोकेशन की दर से चैक संख्या 674225 दिनांक 5.3.97 द्वारा किया गया ।

उक्त भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका तथा सम्बन्धित फर्म से प्राप्त जांच परीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई ।

....लगातार...

सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

51. निर्माण कार्य खाता बही के अवलोकन पर पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल द्वारा निम्नलिखित भवनों की वार्षिक मुरम्मत एवं रख-रखाव पर हुए व्यय पर भी विभागीय प्रभार लगाए जा रहे थे जबकि नियमानुसार ऐसे व्यय पर विभागीय प्रभार वसूल नहीं किए जाते थे । अतः अनियमित रूप से डाले जा रहे विभागीय प्रभार बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रभार के रूप में डाली गई राशियों का लेखाओं में आवश्यक समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

खाता बही पृष्ठ	कार्य का नाम	कुल राशि	विभागीय प्रभार की राशि
283	वार्षिक मुरम्मत सामाजिक आवासीय कालोनी, पालमपुर	2174.70	197.70
292	वार्षिक मुरम्मत अधिशासी अभियन्ता आवास	9920.90	901.90
299	वार्षिक मुरम्मत कार्यालय भवन	3941.30	358.30
301	वार्षिक मुरम्मत एम.आई.जी.-51	190.30	17.30
332	आर/एम रेस्ट हाउस	12490.50	1135.50
		कुल राशि	2610.70

52. **अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

निम्नलिखित वाउचरों की अंकेक्षण के समय पड़ताल नहीं की जा सकी क्योंकि इन वाउचरों से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 193 तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख बार-2 मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गये :-

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि	निर्माण कार्य का नाम
70	18.7.96	1,31,259.00	जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला (प्रिंसिपल आवास)
111	20.3.97	56,843.00	जवाहर नवोदय विद्यालय (सीमा दीवार)

उक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

53. गाड़ी संख्या जिप्सी एच.आई.के. 460 की लॉग बुक के अवलोकन से पाया गया कि मास 9/96 से मास 3/97 तक की गई निम्नलिखित यात्राओं से सम्बन्धित आउट टर्न वर्ष 1996-97 के अन्त तक तैयार नहीं की गई थी । इस अनियमितता के फलस्वरूप निम्नयात्राओं से सम्बन्धित व्यय अभी तक सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डेबिट तथा शीर्ष आर/एम आफ गाड़ी नं. 460 को क्रेडिट नहीं किया गया था । निम्न विवरणानुसार उ

उपरोक्त गाड़ी द्वारा मास 9/96 से 3/97 तक कुल 17,220 किलोमीटर की दूरी तय की थी तथा इस प्रकार 13/80रू0 प्रति किलोमीटर आउट टर्न की दर से मु0 2,37,636 रुपयों उपरोक्त शीर्षों में डेबिट तथा क्रेडिट होने अपेक्षित थे। इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष के दौरान किया गया व्यय तथा आय उसी वर्ष के अन्त तक कार्यों पर डेबिट तथा गाड़ी की मुरम्मत एवं रख रखाव को क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि लेखाओं में वास्तविक वित्तीय स्थिति सामने आ सके :

मास	मास में दूरी तय की किलोमीटर में
9/96	1230
10/96	2685
11/96	2118
12/96	2702
1/97	3822
2/97	2995
3/97	1668
	कुल 17220 कि. मी.

54. बोर्ड वाहन द्वारा की गई निजी यात्राओं से सम्बन्धित देय राशियों की वसूली न किया जाना।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा बोर्ड के वाहन संख्या एच.आई.के. 460 द्वारा निम्नलिखित दिनांकों पर निजी यात्राएं की थी परन्तु इन निजी यात्राओं से सम्बन्धित देय राशियों की वसूली अभी तक नहीं की गई थी। अतः आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए तथा भविष्य में ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित देय राशियों की वसूली समय पर की जानी सुनिश्चित की जाए :-

क्र. सं.	वाहन संख्या	दिनांक	कि. मी.	कहां से कहां तक	वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी का पदनाम
1.	एच.आई.के. 460	20. 2. 97	144 कि.मी.	मण्डी लोकल	अधिशासी अभियन्ता
2.	--"--	1. 1. 97	177 कि.मी.	सोलन लोकल चण्डीगढ़ और वापिस सोलन	--"--
3.	--"--	9. 6. 96	95 कि.मी.	धर्मशाला से पालमपुर और वापिस	--"--

55. पैट्रोल की कम गणना करना :-

(क) वाहन संख्या एच.आई.के. 460 की लॉग बुक पृ. संख्या 90 के अवलोकन पर पाया गया कि मास 3/96 के अन्त में कुल 95 ली. पैट्रोल शेष था जबकि मास 4/96 में प्रारम्भिक शेष 95 लीटर की बजाए केवल 40 लीटर पैट्रोल ही लिया गया। अतः (95-40) 55 लीटर पैट्रोल मास 4/96

के दौरान गणना में कम लिया गया । अतः उक्त 55 लीटर पैट्रोल की कीमत ~~xxx~~ दर 17.05/-रु0 प्रति ली. के हिसाब से कुल 938/-रु0 की राशि की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

{ख} इसी प्रकार लॉग बुक पृ. संख्या 3 के अनुसार मास 4/96 के अन्त में 52 ली. पैट्रोल शेष था जबकि मास 5/96 के ~~xxxxx~~ प्रारम्भ में केवल 35 लीटर पैट्रोल ही गणना में लिया गया था । इस प्रकार 17 लीटर पैट्रोल {52-35} गणना में कम लिया गया जिसकी कीमत 17.05 रु0 प्रति लीटर के हिसाब से कुल 290.00 रु0 की राशि की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

56. मण्डलीय वाहन संख्या एच.आर.के 460 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त वाहन द्वारा की गई सभी यात्राओं का उद्देश्य केवल मात्र "सरकारी" दर्शाया गया था तथा कार्य के पूर्ण विवरण के अभाव में ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित व्यय भी विभिन्न निर्माण कार्यों पर अनुमान के आधार पर डेबिट किया गया था जबकि लॉग बुक में प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित किए गए कार्य के विवरण के अतिरिक्त यात्रा के उद्देश्य बारे पूर्ण विवरण भरा जाना अपेक्षित था तथा तदानुसार ही प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्यय सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डेबिट किया जाना था। यह एक गम्भीर अनियमितता थी तथा वर्ष 1996-97 के दौरान प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्यय को बिना किसी विवरण के ही विभिन्न निर्माण कार्यों को अनुमानित आधार पर डेबिट करने की प्रक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता । इसके ~~अतिरि~~ अतिरिक्त प्रत्येक निर्माण कार्यों की सही लागत नहीं आंकी जा सकती । इस अनियमितता के शीघ्र समाधान हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित विवरण लॉग बुक में ~~भरे~~ शीघ्र दिए जाने के अतिरिक्त इस गलत प्रक्रिया पर रोक लगाने बारे शीघ्र उचित पग उठाए जाएं । इस सम्बन्ध में वर्ष ~~xxx~~ 1996-97 के दौरान की गई समस्त यात्राओं से सम्बन्धित संशोधित आउट टर्न तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु उपलब्ध कराई जाए ।

57. वाहन संख्या एच.आर.के. 460 की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि ~~x~~ दिनांक 11.5.96 के शुरू में वाहन की मीटर रीडिंग 23591 कि.मी. तथा अन्त में 24700 कि.मी. रीडिंग दर्शाकर उक्त दिनांक पर वाहन केवल 109 कि.मी. ही चला दर्शाया गया जबकि उक्त दर्शाई गई मीटर रीडिंग के अनुसार यह वाहन दिनांक 11.5.96 को वास्तव में कुल 1109 कि.मी. {24700-23591} चलाया गया था । वाहन की औसत दर तथा आउट टर्न पर निकालने के लिए और वाहन से सम्बन्धित व्यय विभिन्न निर्माण ~~x~~ कार्यों पर डेबिट करने हेतु भी केवल 109 कि.मी. ही गणना में लिए गए । इस प्रकार 1000 कि.मी. वाहन का कहीं अन्यत्र दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है । यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आगामी कार्यवाही एवं उक्त यात्रा से सम्बन्धित व्यय की आउट टर्न दर 12.80 रु0 से राशि रु0 12,800 रुपये की वसूली हेतु लाई जाती है ।

....लगातार

अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

58. निम्नलिखित वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां निम्नलिखित फर्मों से विभिन्न सामान क्रय करते समय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई थीं परन्तु सम्बन्धित फर्मों द्वारा इस xxxx राशि की प्राप्ति के उपलक्ष में दिए गए कैश मैमों पर सेल टैक्स संख्या अंकित न होने के कारण यह विदित नहीं हो सका कि यह फर्में xxxxxx वास्तव ही सेल टैक्स कार्यालय में रजिस्टर्ड थीं । इस सम्बन्ध में तथ्यों की छानबीन करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई निम्न राशियों की शीघ्र वसूली की जाए :-

वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि	सेल टैक्स के रूप में भुगतान की गई राशि	फर्म का नाम
131	25. 3. 97	4720. 00	350. 00	मै. सहगल इन्टरप्राईज कांगड़ा
149	29. 3. 97	3058. 00	118. 00	मै. शर्मा मारबल हाउस पपरोला ।
समायोजन 29 सब वोचर 16	मास 7/96 8. 7. 96	292. 00	22. 00	प्रेम जनरल स्टोर चम्बा
समायोजन 27 सब वाउचर 5	मास 3/97	395. 00	15. 00	इण्डियन मोटर दली
समायोजन 79 सब वाउचर 44	मास 3/97	1974. 00	146. 00	शर्मा मारबल हाउस पपरोला

59. अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि हि. प्र. आवास बोर्ड के अधिशासी अभियन्ताओं की दिनांक 22. 11. 95 को हुए मिटिंग में निविदा फार्मों के विक्रय हेतु निर्धारित दरों पर बेचने की बजाए कम दरों पर बेचे जा रहे थे । इस अनियमितता के कारण आवास बोर्ड को निम्न विवरणानुसार कुल 4450 रू0 की राशि की हानि हुई । इस राशि को दोषियों से शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए :-

निविदा खुलने की तिथि	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जिस दर से निविदा फार्म बेचे गए	वास्तव में जिस दर से विक्रय होने थे	कम वसूल की गई राशि	संविदाकार का नाम
[illegible]. 12. 95	[illegible] दय [illegible] पपरोला (सैट्रिक)	5,31,403/-	100. 00	400. 00	300. 00	श्री अश्वनी कुमार
-"-	-"-	-"-	100. 00	400. 00	300. 00	मै. जे. एस. कन्सट्रक्शन
-"-	-"- (सिव्रेज)	14,52,705/-	100. 00	500. 00	400. 00	श्री अश्वनी कुमार
			100. 00	500. 00	400. 00	श्री हरजीत सिंह
			100. 00	500. 00	400. 00	श्री डी. बी. जैन
			100. 00	500. 00	400. 00	जे. एस. कन्सट्रक्शन

. 96	स्वत:वित्तीय	397286/-	200.00	250.00	50.00	रमेश चौपड़ा
	योजना खनियारा		200.00	250.00	50.00	डी. डी. जैन
	छ		200.00	250.00	50.00	अमर पाल सिंह
4. 96	पी. एस. एफ. एस.	105416/-	200.00	250.00	50.00	रमेश चौपड़ा
	बिंद्राबन		200.00	250.00	50.00	मनोहर लाल
			200.00	250.00	50.00	डी. डी. जैन
			200.00	250.00	50.00	राजकुमार
			200.00	250.00	50.00	रमेश महाजन
4. 96	स्वत:वितीय	206596/-	200.00	250.00	50.00	राकेश महाजन
	योजना खनियारा		200.00	250.00	50.00	रमेश चौपड़ा
	(सीमा दीवार)		200.00	250.00	50.00	राजेश धरमानी
			200.00	250.00	50.00	संजीव कुमार
			200.00	250.00	50.00	कुलदीप मेहरा
			200.00	250.00	50.00	कुलदीप ठाकुर
4. 96	स्टाफ क्वाटर	325666/-	200.00	250.00	50.00	रमेश चौपड़ा
	स्कूल शिक्षा बोर्ड		200.00	250.00	50.00	डी. डी. जैन
	(सिवरेज)		200.00	250.00	50.00	कुलदीप सिंह
6. 96	जवाहर नवोदय	264831/-	200.00	250.00	50.00	रमेश कुमार
	विधालय चम्बा		200.00	250.00	50.00	सुरेश कुमार
	(प्रिंसिपल निवास)					
6. 96	स्टाफ क्वार्टर	128273/-	200.00	250.00	50.00	अश्वनी कुमार
	स्कूल शिक्षा बोर्ड		200.00	250.00	50.00	नव युग कन्सट्रक्शन
	(सिवरेज)		200.00	250.00	50.00	मनोहर लाल
6. 96	पी. एस. एफ. एस.	394594/-	200.00	250.00	50.00	अश्वनी कुमार
	बिंद्राबन		200.00	250.00	50.00	धर्मपाल
			200.00	250.00	50.00	डी. डी. जैन
			200.00	250.00	50.00	विजय कुमार
10. 96	जवाहर नवोदय	160990/-	200.00	250.00	50.00	पटियाल इन्टरप्राईजिज
	विधालय पपरोला		200.00	250.00	50.00	रमेश चौपड़ा
	(रोड़)		200.00	250.00	50.00	सुरेश कुमार
7. 10. 96	स्वत: वित्तीय	305930/-	200.00	250.00	50.00	रमेश कुमार
	योजना खनियारा		200.00	250.00	50.00	नवयुग कन्सट्रक्शन
	(सिवरेज)		200.00	250.00	50.00	अश्वनी कुमार
27. 11. 96	जवाहर नवोदय	331166/-	200.00	250.00	50.00	सोहन लाल
	विधालय (ओवर हैड टैंक)		200.00	250.00	50.00	ए. के. ठाकुर
28. 11. 96	स्टाफ क्वार्टर स्कूल	216303/-	200.00	250.00	50.00	रमेश चौपड़ा
	शिक्षा बोर्ड		200.00	250.00	50.00	अश्वनी कुमार
			200.00	250.00	50.00	डी. डी. जैन
			200.00	250.00	50.00	सुरेश कुमार
			200.00	250.00	50.00	कुलदीप मेहरा
			200.00	250.00	50.00	रमेश कुमार

....लगातार.....

11. 96	पी. एस. एफ. एस. बिलासपुर (वाटर सप्लाई)	183062/-	200.00	250.00	50.00	सोहन लाल
			200.00	250.00	50.00	ए. के. ठाकुर
			200.00	250.00	50.00	राजेश कुमार
1. 97	--यथोपरि- (सेंक)	137582/-	200.00	250.00	50.00	सुशील पाल
			200.00	250.00	50.00	कमल किशोर
					4450.00	

60. स्टाफ अग्रिम रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न-लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशियाँ अपने पास शेष रखी गई थीं । इस के अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में राशियां अपने पास रखने के साथ-2 इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशियां स्वीकृत की जाती रहीं । इन अनियमितताओं के फलस्वरूप प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के पास निम्न विवरणानुसार भारी मात्रा में राशियां शेष पड़ी रहीं । यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है तथा भविष्य में इस अनियमितता पर रोक लगाने हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए :-

1. सहायक अभियन्ता धर्मशाला

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में शेष राशि जो अपने पास रखी
7/96	85000.00	----	85000.00
8/96	99526.00	83723.00	100803.00
9/96	70694.00	159448.00	12049.00
10/96	101655.00	90424.00	23280.00
11/96	111390.00	97571.00	37099.00
12/96	75450.00	78679.00	33870.00
1/97	117805.00	91239.00	60436.00
2/97	121357.00	132747.00	49046.00

2. सहायक अभियन्ता चम्बा

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में शेष राशि जो अपने पास रखी
7/96	148000.00	37169.00	111064.00 (233 पिछले बकाया)
8/96	----	----	111064.00
9/96	15000.00	121917.00	4147.00
10/96	37008.00	34626.00	6529.00
11/96	42000.00	38210.00	10319.00

3. सहायक अभियन्ता पालमपुर

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में शेष राशि जो अपने पास रखी
9/96	90395.00	86578.00	3817.00
10/96	180900.00	158026.00	26689.00
11/96	150000.00	143603.00	33086.00

....लगातार....

12/96	117083.00	114463.00	35706.00
1/97	115685.00	109507.00	41884.00
2/97	101699.00	101172.00	42411.00

4. श्री वी. के. कायस्थ, क. अभियन्ता

4/96	15171.00	-----	15171.00
5/96	30000.00	-----	45171.00
6/96	6000.00	-----	51171.00
7/96	10000.00	-----	61171.00
8/96	-----	-----	61171.00
9/96	---	-----	61171.00
10/96	------	45116.00	16055.00
11/96	------	-----	16055.00
12/96	2000.00	-----	18055.00
1/97	10000.00	-----	28055.00
2/97	-----	-----	28055.00

5. श्री सुंकाराम, क. अभियन्ता

4/96	971.00	-----	971.00
5/96 से 8/96	---	-----	971.00
9/96	5000.00	-----	5971.00
10/96	2000.00	-----	7971.00
11/96 से 1/97	-----	-----	7971.00
2/97	~~[illegible]~~	970.00 ~~970.00~~	7001.00

6. श्री प्रकाश चन्द, चालक

4/96	9431.00	-----	9431.00
5/96	4000.00	-----	13431.00
6/96 से 9/96	-----	-----	13431.00
10/96	-----	7[illegible]96.00	5455.00
11/96	1000.00	-----	6455.00
12/96	-----	-----	6455.00
1/97	9000.00	-----	15455.00
2/97	12000.00	------	27455.00

7. श्री एस. एन. [illegible], क. अभियन्ता

9/96	8150.00	-----	8150.00
10/96 से 12/96	------	------	8150.00
1/97	------	4400.00	3750.00
2/97	------	-------	3750.00

...लगातार....

8. श्री एच.एल. धीमान, क. अभियन्ता

4/96	1000.00	-----	1000.00
5/96	-----	-----	1000.00
6/96	2000.00	-----	3000.00
7/96	1500.00	-----	4500.00
8/96	-----	-----	4500.00
9/96	1000.00	-----	5500.00
10/96	26000.00	-----	31500.00
11/96	-----	4261	27239.00
12/96 से 2/97	-----	-----	27239.00

9. श्री के.के. सूद, क. अभियन्ता

6/96	18000.00	-----	18000.00
7/96	-----	2093.00	15907.00
8/96	15000.00	2190.00	28717.00
9/96	-----	-----	28717.00
10/96	-----	-----	28717.00
11/96	15000.00	20144.00	23573.00
12/96	-----	-----	23573.00
1/97	-----	5024.00	18549.00
2/97	-----	-----	18549.00

10. श्री एन.के. शर्मा, क. अभियन्ता

7/96	15000.00	-----	15000.00
8/96	-----	-----	15000.00
9/96	20000.00	-----	35000.00
10/96	40000.00	-----	75000.00
11/96	-----	-----	75000.00
12/96	-----	-----	75000.00
1/97	-----	-----	75000.00
2/97	-----	-----	75000.00

61. निम्नलिखित स्टाफ अग्रिम राशियों का भुगतान निम्नविवरणानुसार कर्मचारियों को किया गया परन्तु इन राशियों का भुगतान करने से पूर्व कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसी अनियमितताओं की पुनः वृत्ति हेतु उचित कदम उठाएं जाएं :-

वाउचर सं0	दिनांक	राशि रु0	जिसे भुगतान किया गया ।
21	8.7.96	70,000.00	श्री जगत राम, सं. अभियन्ता

....लगातार....

84	22. 7. 96	15,000.00	श्री जगत राम, स.अभियन्ता
98	23. 7. 96	1,500.00	श्री जौली राम, चालक
102	25. 7. 96	1,000.00	------यथोपरि-----
115	31. 7. 96	90,000.00	श्री एस. पी. बन्सल, स.अभियन्ता
13	4. 3. 97	35,000.00	------यथोपरि-------
138	29. 3. 97	1,000.00	श्री प्रकाश चन्द, चालक

62. निम्नलिखित कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित औषधियां/मदों की व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है जोकि चिकित्सा नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकार्य नहीं थी । अतः ऐसी औषधियों/मदों की कीमत की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए :-

वाउचर/दिनांक सं0	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक भुगतान	औषधि जो देय नहीं थी	कर्मचारी का नाम
20/5. 7. 96	660.00	579.00	81.00	विकासल केपसूलज	श्री जी. पी. गुप्ता, व. सहायक
82/22. 7. 96	36.00	----	36.00	कालातीत दावा	श्री प्रकाश चन्द, ड्राईवर
203/31. 3. 97	1367.00	1248.00	119.00	साइक्लोडोल	श्री देस राज, प्रारूपकार
समायोजन वाउचर 58, सब वाउचर 66 मास 3/97	375.00	75.00	300.00	रोक्सीविड (चिकित्सक द्वारा लिखी नहीं गई)	श्री देस राज, सुपरवाईजर

63. निम्नलिखित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता व्यय बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार यात्रा भत्ता दावों का अधिक भुगतान किया गया है । इस प्रकार अधिक भुगतान की गई राशियों का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त दोषी कर्मचारियों से अधिक भुगतान की गई राशियों की वसूली की जाए :-

वाउचर संख्या	भुगतान की राशि	देय राशि	अधिक भुगतान की गई राशि	जिसे भुगतान किया गया	अधिक भुगतान का विवरण
19 मास 3/97	616.00	376.00	240.00	श्री दिनेश कुमार ड्राफ्टमैन	होटल चार्जिज देय नहीं थे ।
58 मास 3/97	747.00	482.00	265.00	श्री कर्म सिंह व. स.	बस का किराया तथा होटल चार्जिज
29 मास 7/96	1677.00	1527.00	150.00	श्री एस. पी. कमलेश, क.अ.	होटल चार्जिज तथा दैनिक भत्ता
24 मास 7/96 सब वाउचर 28	753.00	643.00	110.00	श्री एन. के. शर्मा क.अभियन्ता	बस किराया तथा दैनिक भत्ता

...लगातार..

24 मास 7/96 725.00 675.00 50.00 श्री जालम सिंह दैनिक भत्ता
सब वाउचर 43 रोड़ रोलर चालक

64. भुगतान वाउचर संख्या 1 दिनांक 1.3.97 राशि 1012 रुपये

इस भुगतान वाउचर xxxx द्वारा रु0 1012 रु0 का भुगतान श्री दीवान चन्द चौकीदार को वार्षिक वेतन वृद्धि की बकाया राशि अवधि 1.3.96 से 31.1.97 तक किया गया है ।

वार्षिक वेतन वृद्धि की बकाया राशि के वाउचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी श्री दीवान चन्द चौकीदार 15.2.96 से 30.4.96 तक अवकाश पर था और 1.5.96 को कार्य ग्रहण किया था तथा इस प्रकार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1.5.96 से देय था । परन्तु उन्हें वार्षिक वृद्धि का लाभ दिनांक 1.3.96 से ही दे दिया गया जो कि अनियमित है । अतः निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दोषी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए :-

	दिया गया वेतन	देय वेतन	अधिक भुगतान किया गया
मूल वेतन	1115.00	1080.00	35.00
मंहगाई भत्ता	1650.00	1598.00	52.00
xxx अन्तरिम राहत	261.00	258.00	3.00
मकान किराया भत्ता	56.00	54.00	2.00
		जोड़	92.00

मास 3/96 व 4/96 में कुल अधिक भुगतान किया गया = 92x2=184/-रुपये

65. समायोजन वाउचर संख्या 29 मास 7/96 के सब वाउचर संख्या दिनांक 8.7.96 द्वारा 450 रुपये की राशि का भुगतान श्री काशि राम शर्मा चपड़ासी को गर्म वर्दी की सिलाई पर किए व्यय के रूप में वापिस किए गए परन्तु हि. प्र. सरकार के पत्र संख्या कार्मिक (प्रा. एवं नि.) (7) (डी) -6-11/94-I दिनांक 3.12.94 द्वारा गर्म xxx वर्दी की सिलाई हेतु केवल 275/- रुपये की राशि निर्धारित की गई थी अतः निर्धारित राशि से अधिक राशि के भुगतान बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त रु0 175/-रु0 की राशि की वसूली दोषी से की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

66. वाउचर संख्या 68 दिनांक 15.2.97 राशि 20000/-रु0

रु0 20000/-रु0 के स्कूटर अग्रिम का भुगतान श्री एच. एल. धीमान कनिष्ट अभियन्ता को स्कूटर खरीदने हेतु किया गया । परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा क्रय किए गए वाहन से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख जैसे कि वाहन का रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र, बीमा इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख तथा अनुबन्ध पत्र इत्यादि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए । उपरोक्त अभिलेख xxxx आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा भुगतान

....लगातार....

की गई राशि की दण्ड ब्याज सहित एक मुश्त वसूली सुनिश्चित की जाए ।

67. लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

68. निष्कर्ष:- पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अत्याधिक अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु तथा वर्तमान अंकेक्षण के पैरा संख्या 6 (क)(i), 8 तथा 11 में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत इन पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवास बोर्ड के प्राधिकारियों का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित किया जाता है ।

हस्ता/-
उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला 171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन (एलए) (2) सी (15)(14) 119/88, खण्ड-7 दिनांक 02 MAY 1998, शिमला 171002.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2. आयुक्त एवम् सचिव (आवास), हि0प्र0, शिमला-171002.
3. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-2.
4. श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा....

2/5/98
उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा),
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.